Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

मार्च 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

11/03/2024 से 17/03/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत निर्वाचन आयोग	1 - 11
2.	नागरिक संशोधन कानून 2019	11 - 21
3.	खेलो इंडिया कार्यक्रम का छठवां संस्करण	21 - 29
4.	भारत – ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौता	30 - 37
5.	भारतीय निर्वाचन आयोग और चुनावी बॉण्ड	38 - 47
6.	खुदरा मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2024	46 - 56

करंट अफेयर्स मार्च 2024

भारत निर्वाचन आयोग

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था, भारत निर्वाचन आयोग, कार्य एवं शक्तियां, कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया, भारत में चुनाव आयोग के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ, उच्चतम न्यायालय।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने भारत में वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा से पहले ही निर्वाचन आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 09 मार्च 2024 को उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है और भारत के कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा कर दिया है।
- भारत के दूसरे चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी 2024 को अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे से उपजी चुनाव आयुक्तों की रिक्तियों को भरने के लिए 15 मार्च 2024 तक दो चुनाव आयुक्तों की

नियुक्ति होने की संभावना है।

- वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही भारत निर्वाचन आयोग के एकमात्र सदस्य के रूप में इस पद पर आसीन हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग के चयन समिति के सदस्यों की सुविधा के आधार पर 13 या 14 मार्च को एक उच्च स्तरीय बैठक होने के बाद दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां 15 मार्च तक होने की संभावना है।

भारत निर्वाचन आयोग का परिचय :

- भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी।
- भारत में इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण/ संस्था है जो भारतीय संविधान के अनु-च्छेद 324 के तहत भारत की संसद, राज्य विधानमंडल के साथ – ही – साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों के अधीक्षण,निर्देशन और निर्वाचन नामावलियों की तैयारी करने एवं उस पर नियंत्रण रखने के लिए भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है| अतः निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होने वाले चुनावों के लिए एक उत्तरदायी शीर्ष संस्था है।
- भारत के राज्यों में होने वाले पंचायत और नगरपालिका या नगरनिगम की चुनाव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। अतः राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी संस्था होता है।

भारत निर्वाचन आयोग की संरचना:

- सन 1950 में गठित भारत निर्वाचन आयोग में मूल रूप से केवल एक चुनाव आयुक्त होता था लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के फलस्वरूप इसे एक बहु-सदस्यीय संस्था बना दिया गया है ।
- चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय – समय पर चुना जाता है वे भी इसमें शामिल होते हैं।
- वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
- राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मदद की जाती है जो IAS रैंक का अधिकारी होता है।

चुनाव आयुक्त का कार्यकाल :

- भारत के संविधान में चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल संबंधी कोई स्पष्ट निर्देश नही है, लेकिन भारत के संविधान संशोधन के 1991 के चुनाव आयोग अधिनियम के अनुसार, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम छह साल तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक ही इस पद पर बने रह सकते हैं। यह कार्यकाल उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से गिना जाता है।
- इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और उनके समान ही वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।
- भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त आम तौर पर अक्सर भारतीय प्रशासनिक सेवा से भारतीय सिविल सेवा का सदस्य होता है। जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से अधिकार प्राप्त होता है और संरक्षित होता है।
- भारत निर्वाचन आयोग, भारत में उन कुछ संवैधानिक प्राधिकरणों/ संस्थाओं में से एक है जो स्वायत्त

रूप से काम करते हैं। ऐसे अन्य संस्थाओं में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था शामिल हैं।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया :

- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार उनके पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग के द्वारा भारत की संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
- इनको हटाने का आधार दुर्व्यवहार करने, किसी राजनीतिक दल के साथ पक्षपात करने या अपने कार्य को पूरा करने में असक्षम सिद्ध होने पर ही किया जा सकता है।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में अभी किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त पर कभी भी महाभियोग नहीं लगाया गया है।
- भारत के निर्वाचन आयोग में सदस्य के रूप में पदस्थापित अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- हालाँकि, इस प्रावधान को भारत में अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है।
- वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की थी. इस सिफ़ारिश के पीछे का कारण मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चावला की आगामी नियुक्ति और उनके कथित पक्षपातपूर्ण राजनीतिक दल व्यवहार के कारण हितों का संभावित टकराव था। हालाँकि, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राय दी कि ऐसी सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अगले महीने गोपालस्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद, चावला ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला और 2009 के लोकसभा आम चुनावों की निगरानी भी की और लोकसभा चुनाव संपन्न भी करवाया था ।

भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ :

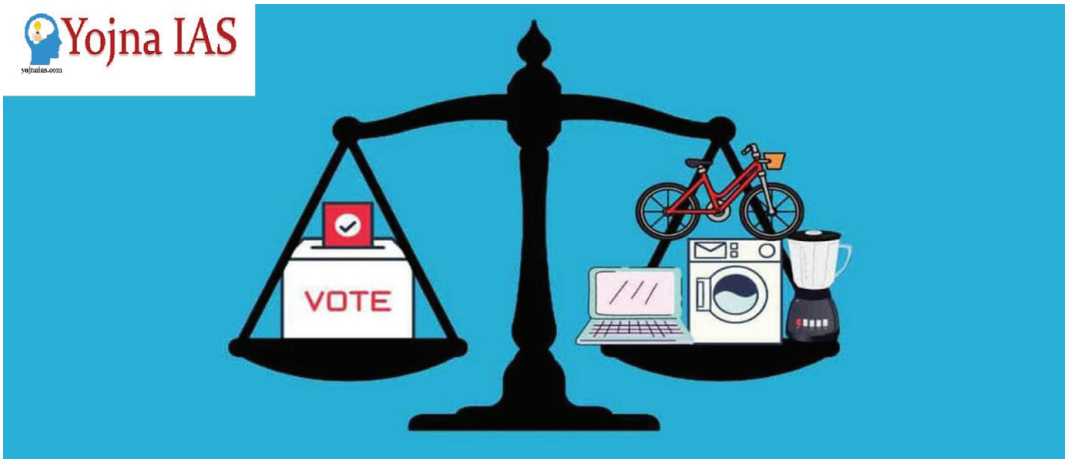

भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है –

1. प्रशासनिक शक्तियाँ
2. सलाहकारी शक्तियां
3. अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ

भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियाँ :

- भारत निर्वाचन आयोग के अधीन परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार कार्य करने और विभिन्न चुनावों के लिए चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं को निर्धारित करने का अधिकार है।
- इसके पास किसी भी राजनीतिक दल या इकाई को पंजीकृत और अपंजीकृत करने की शक्ति प्राप्त है।
- यह भारत में होने वाले चुनाव अभियानों के लिए ' आदर्श आचार संहिता ' लागू करने और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत है ।
- इस आयोग के पास राजनीतिक दलों के चुनाव खर्चों की निगरानी करने की शक्ति है, जिससे सभी दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना शामिल है, चाहे उनका आकार और खर्च करने की क्षमता कुछ भी क्यों न हो।
- यह भारत के सिविल सेवा के विभिन्न विभागों से अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षकों और व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग की सलाहकारी शक्तियाँ :

- भारत निर्वाचन आयोग के पास संसद सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता और चुनाव में उसके लिए शर्तों का निर्धारण करने के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति है।
- यह आयोग राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता पर संबंधित राज्य के राज्यपालों को सलाह भी देता है।
- यह भारत में होने वाले आम चुनाव में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बीच चुनाव के बाद के विवादों से संबंधित मामलों पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देता है।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनाव के बाद के विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाता है । संसद और राज्य विधानमंडलों से संबंधित विवादों को उच्च न्यायालयों में भेजा जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग की अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ :

- भारत निर्वाचन आयोग के पास भारत के राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दी गई मान्यता से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार प्राप्त है।

- इसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों के आवंटन से उत्पन्न विवादों से संबंधित मामलों के लिए अदालत के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त है।
- राज्यों में होने वाले पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में कराए जाते हैं। राज्य चुनाव आयोगों कोभारत निर्वाचन आयोग द्वारा सलाह दी जाती है और वे इसके प्रति जवाबदेह होते हैं।

चुनाव आयोग की शक्तियाँ भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में निहित हैं, जिनमें शामिल हैं:

अनुच्छेद 324 : यह ईसीआई को राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय चुनावों की सीधे निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन की जिम्मेदारी देता है।

अनुच्छेद 325 : यह अनुच्छेद निर्धारित करता है कि मतदाता सूची में नामों को शामिल करना और बाहर करना भारतीय नागरिकता के आधार पर होना चाहिए । इसमें कहा गया है कि मतदान की उम्र से ऊपर के भारत के किसी भी नागरिक को नस्ल, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर नामावली से बाहर नहीं किया जाना चाहिए या विशेष मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 326 : यह अनुच्छेद निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना करता है।

अनुच्छेद 327 : यह राष्ट्रीय चुनावों के संचालन के संबंध में ईसीआई और संसद की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है।

अनुच्छेद 328 : यह राज्य-स्तरीय चुनावों के संबंध में राज्य विधानमंडलों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।

अनुच्छेद 329 : यह चुनाव से संबंधित मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है जब तक कि विशेष रूप से अपने विचार प्रदान करने के लिए न कहा जाए।

भारत निर्वाचन आयोग की प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ :

भारतीय चुनाव आयोग देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। **भारत निर्वाचन आयोग की कुछ प्रमुख भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नलिखित है –**

1. **निष्पक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना :** भारत के निर्वाचन आयोग को राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय चुनावों सहित विभिन्न स्तरों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह चुनाव की तारीखों की घोषणा से लेकर नतीजे घोषित करने तक पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

2. **मतदाता पंजीकरण :** भारत में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र नागरिक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें, भारत निर्वाचन आयोग मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। यह मतदाता पंजीकरण अभियान आयोजित करता है और मतदाता सूचियों को अद्यतन करता है एवं पात्र व्यक्तियों को मतदाता पहचान पत्र जारी करता है।

3. **स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना :** निष्पक्ष और संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ईसीआई चुनावी सीमाओं का परिसीमन करता है। यह समय-समय पर जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं की समीक्षा और संशोधन करता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की लगभग समान संख्या बनाए रखने का प्रयास करता है।

4. **चुनाव कार्यक्रम घोषित करना :** भारत निर्वाचन आयोग भारत में चुनावों का कार्यक्रम निर्धारित करता है, जिसमें नामांकन दाखिल करने, मतदान और मतगणना की तारीखों की घोषणा शामिल होती है। यह सुनिश्चित करता है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया उचित समय सीमा के भीतर ही आयोजित की जाए।

5. **आदर्श आचार संहिता लागू करना :** भारत में चुनावों के दौरान नैतिक मानकों और निष्पक्ष प्रथाओं को बनाए रखने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। यह संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, सत्ता के दुरुपयोग या अनुचित लाभ को रोकती है।

6. **चुनावी कानून और नियम सुनिश्चित करना :** भारत निर्वाचन आयोग चुनावी कानूनों और नियमों को बनाता और लागू करता है जो चुनावों के संचालन को नियंत्रित करते हैं। यह पूरी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और संविधान और प्रासंगिक कानून का पालन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

7. **चुनाव पर्यवेक्षक को तैनात करना :** भारत में चुनाव के संचालन की निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग चुनाव पर्यवेक्षकों को तैनात करता है। ये पर्यवेक्षक मतदान केंद्रों की देखरेख करते हैं, मतगणना प्रक्रिया का निरीक्षण करते हैं और किसी भी अनियमितता या उल्लंघन की रिपोर्ट ईसीआई को देते हैं।

8. **मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम निर्धारित करना :** भारत में एक लोकतांत्रिक और सक्रिय नागरिक वर्ग के महत्व को पहचानते हुए, भारत निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिकों के बीच मतदान के महत्व और मतदाता के रूप में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य अंततः मतदान प्रतिशत

बढ़ाना और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है।

9. **राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना :** भारत निर्वाचन आयोग विशिष्ट मानदंडों के आधार पर भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त पार्टियाँ वित्तीय प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करें, आचार संहिता का पालन करें और चुनाव में भाग लेने के लिए अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

10. **चुनाव निगरानी और प्रवर्तन तथा चुनाव सुरक्षा प्रदान करना :** भारत निर्वाचन आयोग भारत की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करते हुए,चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यह चुनावी कदाचार को रोकने, चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उपाय करता है।

11. **लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना :** भारत निर्वाचन आयोग को राज्य विधानसभाओं, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय शासी निकायों सहित विभिन्न स्तरों पर चुनाव कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतः इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना है कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हो।

12. **प्रौद्योगिकी प्रगति :** भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) ने मतदान में क्रांति ला दी है, जिससे भारत में चुनाव के दौरान वोट डालने और वोटों की गिनती के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका उपलब्ध हो गया है।

- **भारत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को सबसे पहले अपनाने वाला देश था, जिसने 2014 में संसदीय चुनावों के दौरान इसे देश भर में लागू किया। भारत की बड़ी और विविध आबादी को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसमें निरक्षर नागरिकों वाले कई ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं।**
- **भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय के महत्व को 1990 से 1996 तक टीएन शेषन के कार्यकाल के दौरान व्यापक रूप से मान्यता मिली। शेषन भारतीय चुनावों में भ्रष्टाचार और हेरफेर से निपटने के अपने दृढ़ प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हैं ।**

भारत के चुनाव आयोग का महत्व :

- भारत के चुनाव आयोग ने 1952 से राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को सफलतापूर्वक आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज, यह चुनावी प्रक्रिया में लोगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करता है। आयोग ने आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को बनाए रखने में विफल रहने पर मान्यता रद्द करने की धमकी देकर राजनीतिक दलों के बीच प्रभावी ढंग से अनुशासन स्थापित किया है। यह चुनावी शासन पर अपनी निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण में समानता, समता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता और कानून के शासन के संवैधानिक मूल्यों को कायम रखता है।
- चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों के साथ आयोजित किए जाएं। यह सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एक समावेशी और मतदाता-केंद्रित वातावरण बनाने का प्रयास करता है। आयोग चुनावी प्रक्रिया के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ जुड़ता है। यह राजनीतिक दलों, मतदाताओं, चुनाव पदाधिकारियों, उम्मीदवारों और आम जनता सहित हितधारकों के बीच चुनावी प्रक्रिया और शासन के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन प्रयासों का उद्देश्य भारत की चुनावी प्रणाली में विश्वास और विश्वास बढ़ाना है।

भारत में चुनाव आयोग के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ :

- भारत का चुनाव आयोग मौद्रिक प्रभाव से बढ़ती हिंसा और चुनावी कदाचार को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है।
- आयोग के पास राजनीतिक दलों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए पर्याप्त अधिकार और संसाधनों का अभाव है, जिसमें आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र को लागू करना और पार्टी के वित्त को विनियमित करना शामिल है।
- कार्यपालिका से चुनाव आयोग की घटती स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं हैं, जिससे इसकी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की खराबी, हैकिंग या वोट दर्ज करने में विफल रहने के आरोपों ने चुनाव आयोग में जनता के विश्वास को काफी कम कर दिया है।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- भारत का निर्वाचन आयोग चुनावों की अखंडता सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में सहायक है। निष्पक्ष चुनाव कराने, मतदाताओं को जागरूक और अपने मत के महत्व की शिक्षा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को लागू करने के अपने प्रयासों के माध्यम से, वह भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः उसे अपने निहित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जनता को जागरूक और भारत की लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करना चाहिए।
- भारतीय चुनाव आयोग, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई है जिसे भारत में चुनावी प्रक्रिया की देखरेख, प्रबंधन और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतः उसे निष्पक्ष एवं तटस्थ रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया को संपन्न सुनिश्चित करना चाहिए।
- चुनाव आयोग को सतर्क रहना चाहिए और नागरिक और पुलिस नौकरशाही के निचले स्तर के भीतर किसी भी मिलीभगत की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए जो सत्तारूढ़ दल का पक्ष ले सकती है। इससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को लेकर चल रहे विवादों के बीच जनता का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए आयोग को अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वीवीपीएटी) की तैनाती बढ़ानी चाहिए।
- आयोग के अधिदेश और इसके कामकाज को सुविधाजनक बनाने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी और चुनावों का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा।
- ऐसे सुरक्षा उपाय स्थापित करना महत्वपूर्ण है जो यह सुनिश्चित करें कि नैतिक और सक्षम व्यक्ति चुनाव आयोग सहित सार्वजनिक संस्थानों में नेतृत्व पदों पर आसीन हों। इससे आयोग की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की रिपोर्ट में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक कॉलेजियम की स्थापना की सिफारिश की गई, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्य के उपसभापति शामिल होंगे। सभा के सदस्य के रूप में. यह कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिशें करेगा। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया को बढ़ाने और आयोग के भीतर सक्षम नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से संबंधित उत्तरदायी संस्था है।
2. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता

है और उनके समान ही वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।

3. भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 मई 1950 को हुई थी।

4. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग के द्वारा भारत की लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1 और 3

(B). केवल 1 और 4

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 2 और 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत निर्वाचन आयोग को प्राप्त विभिन्न शक्तियों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या चुनौतियाँ है एवं इसका क्या समाधान हो सकता है? तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत कीजिए।

नागरिक संशोधन कानून 2019

स्त्रोत- द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था , नागरिकता , संघ सूची , राज्य सूची , समवर्ती सूची , केंद्र – राज्य संबंध , अनुच्छेद 14, भारत में नागरिकता के लिए प्रावधान।

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में 11 मार्च 2024 को भारत के केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2019 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है ।
- इस अधिसूचना के जारी होने से अब यह नागरिकता संशोधन कानून 2019 पूरे देश में लागू हो जायेगा।
- नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था और 9 दिसंबर 2019 को ही यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था। 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्य-

सभा से पारित हुआ था।

- नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 12 दिसंबर, 2019 को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कानून को अपनी सहमति प्रदान कर दिया था, लेकिन इस, कानून को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया था।

- नागरिकता संशोधन कानून 2019 के द्वारा भारत के पडोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यकों को अब भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी।

- वैश्विक महामारी कोरोना के कारण नागरिकता संशोधन कानून 2019 को भारत में लागू करने में देरी हुई थी, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित करके लागू कर दिया गया है।

REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—19

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY
PART II — Section 1
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 71] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941 (SAKA)

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 12th December, 2019/Agrahayana 21, 1941 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 12th December, 2019, and is hereby published for general information:—

THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2019

No. 47 OF 2019

[*12th December*, 2019.]

An Act further to amend the Citizenship Act, 1955.

Be it enacted by Parliament in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. (*1*) This Act may be called the Citizenship (Amendment) Act, 2019.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [Part II—

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का प्रमुख प्रावधान :

- यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह धार्मिक समुदायों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाता है।

- यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने भारत के पडोसी इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण ली है या धार्मिक आधार पर हुए उत्पीड़न के कारण भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए थे।

- नागरिकता संशोधन कानून 2019 के केवल वही शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले

भारत में प्रवेश कर चुके हैं, भारत की नागरिकता के लिए पात्र हैं।

- नागरिकता प्राप्त करने के बाद, ऐसे प्रवासियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारतीय नागरिक माना जाएगा और अवैध प्रवासी के रूप में उनकी स्थिति या उनकी नागरिकता के संबंध में सभी कानूनी कार्यवाहियों को बंद कर दिया जायेगा।
- इन अवैध प्रवासियों को प्राकृतिकीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिलेगी। प्राकृतिकीकरण प्रक्रिया के तहत एक निश्चित श्रेणी के विदेशी नागरिक को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में कम से कम 11 साल रहना पड़ता है।
- नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत भारत में निवास की आवश्यक अवधि 11 वर्षों को घटाकर अब मात्र 5 वर्ष कर दिया गया है।
- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता कानून को सही ठहराने के लिए संसद में कुछ मौकों पर नेहरू-लियाकत समझौते का जिक्र किया था ।

नागरिकता संशोधन कानून 2019 कहाँ – कहाँ लागू नहीं होगा :

- भारत के संविधान की छठी अनुसूची में शामिल राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में यह नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू नहीं होगा।
- नागरिकता संशोधन कानून 2019 उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं है जहां 'इनर लाइन परमिट' लागू है जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य शामिल हैं।

नागरिकता संशोधन कानून 2019 के विवादास्पद होने का मुख्य कारण :

- नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का भारत में विवादास्पद कानून होने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस कानून के तहत भारत में पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जा रही है या दी जाएगी।

- भारत में कानून के विशेषज्ञों का इस कानून के विपक्ष में एक तर्क यह है कि इस कानून से भारत के संविधान की प्रस्तावना / उद्देशिका में वर्णित भारत का राज्य के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र वाला देश के खिलाफ है और यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है।
- कानून के कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है इसे 2024 के लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले पूरे देश में लागू करने के पीछे देश में वोटों का ध्रुवीकरण करने के बीजेपी के एजेंडे के रूप में भी देखा जा रहा है।

भारत के गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता कानून के पक्ष में दिए जाने वाला तर्क :

- **भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं :** CAA भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। इसलिये यह किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकार को समाप्त या कम नहीं करता है।
- भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया अपरिवर्तित रहती है
- इसके अलावा नागरिकता अधिनियम, 1955 में प्रदान की गई किसी भी श्रेणी के किसी विदेशी द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रक्रिया परिचालन में है और CAA इस कानूनी स्थिति में किसी भी तरह से संशोधन या परिवर्तन नहीं करता है।
- अत: किसी भी देश के किसी भी धर्म के कानूनी प्रवासियों के पंजीकरण या देशीयकरण के लिए कानून में पहले से प्रदान की गई पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद ही भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकेगी।
- **पूर्वोत्तर भारत से संबंधित मुद्दों को सुलझाना :** वार्षिक रिपोर्ट में एक बार फिर पूर्वोत्तर में कानून को लेकर आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है जिसमें कहा गया है कि **संविधान की छठी**

अनुसूची के तहत क्षेत्रों और **इनर लाइन परमिट** शासन के तहत आने वाले क्षेत्रों को शामिल करने से क्षेत्र की स्वदेशी और आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

भारत में नागरिकता कानून :

- भारतीय संविधान में किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए तीन प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है| ये सूचियाँ निम्नलिखित है – संघ सूची , राज्य सूची और समवर्ती सूची।
- भारत के संविधान के अनुसार नागरिकता के संदर्भ में किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन करना या किसी भी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार संघ सूची के अंतर्गत आता है|
- अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार, भारत के संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था।
- अतः यह कानून भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में प्रावधान करता है| नागरिकता संशोधन कानून 2019 से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

भारत की नागरिकता से संबंधित नागरिकता संशोधन कानून 2019 में जोड़ा गया नया प्रावधान :

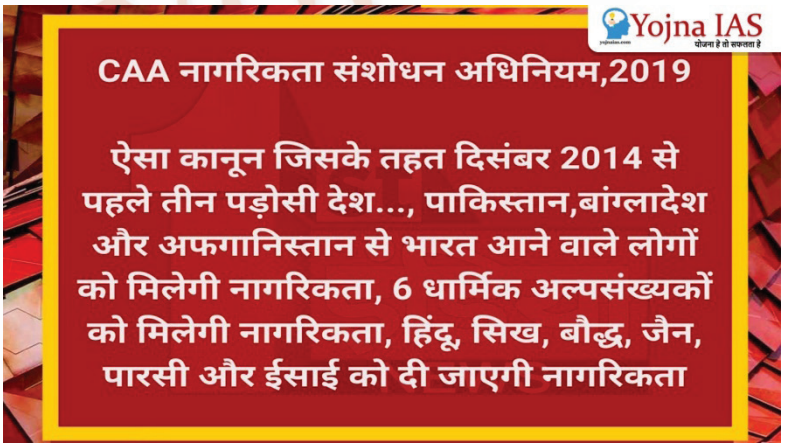

- नागरिकता संशोधन कानून 2019 में देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- इस कानून के तहत आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना अत्यंत अनिवार्य है। इस कानून में छह धर्मों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) और तीन देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह 5 वर्ष तक का समय है।
- इस कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि :

भारतीय संविधान के भाग-II में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भारत की नागरिकता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। भारत की नागरिकता के संबंध में भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया था। जिसमें समय – समय पर संविधान संशोधन किया गया है।

भारत में नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा भारत की नागरिकता निम्न विधियों और शर्तों द्वारा प्राप्त किया जाता है –

1. **जन्म के आधार पर,**
2. **वंशक्रम के आधार पर,**
3. **पंजीकरण के आधार पर,**
4. **देशीयकरण के आधार पर,**
5. **क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर,**

भारत की नागरिकता की समाप्ति का आधार :

भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से निम्नलिखित तीन स्थितियों के आधार पर वंचित किया जा सकता है –

1. **स्वैच्छिक त्याग द्वारा,**
2. **बर्खास्तगी द्वारा,**
3. **वंचन के आधार पर**

भारत में नागरिकता का स्वरूप :

- भारतीय संविधान के अनुसार भारत में शासन का स्वरुप संघीय है लेकिन भारत में केंद्र एवं राज्य संबंधों के तहत इसमें दोहरी शासन पद्धति को अपनाया गया है।
- भारत में केवल एकल नागरिकता अर्थात भारतीय नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अतः भारत में राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं किया गया है।
- भारत के बाहर अन्य संघीय राज्यों, जैसे-अमेरिका एवं स्विट्ज़रलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है।
- दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है।
- वर्तमान में तमिल शरणार्थियों के लिए दोहरी नागरिकता की मांग की जा रही है, लेकिन चूँकि भारत में दोहरी नागरिकता की अवधारणा का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। इसीलिए वर्ष 2000 में

गठित एल.एम.सिंघवी समिति की सिफारिश पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का उपबंध किया गया था ।

- एल.एम.सिंघवी समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए तत्कालीन भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2003 में ' विदेशी भारतीय नागरिकता (Overseas Citizens of India-OCI)' का प्रावधान किया। इसे दोहरी नागरिकता के सीमित संस्करण के रूप में भी देखा गया है।
- विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 और 2016 में, केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए दो अधिसूचनाएं जारी की थीं। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका अर्थ यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा।

शरणार्थी और प्रवासी नागरिक में मुख्य अंतर :

- शरणार्थी अपने देश में उत्पीड़न अथवा उत्पीड़ित होने के भय के कारण वहाँ से भागने को मज़बूर होते हैं। जबकि प्रवासी का अपने देश से पलायन विभिन्न कारणों जैसे-रोज़गार, परिवार, शिक्षा आदि के कारण भी हो सकता है किंतु इसमें उत्पीड़न शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रवासी (चाहे अपने देश में हो अथवा अन्य देश में) को उसके स्वयं के देश द्वारा विभिन्न प्रकार के संरक्षण का लाभ प्राप्त होता रहता है।
- वर्ष 2019 में पारित नागरिकता संशोधन कानून से श्रीलंकाई शरणार्थियों को बाहर रखने तथा कुछ

राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें दोहरी नागरिकता देने संबंधी मांग ने एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में ला दिया है, अतः ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर विमर्श करना अति आवश्यक हो जाता है।

नेहरू – लियाकत समझौता :

- यह भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों के संबंध में एक समझौता था जिस पर 1950 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।
- इस तरह के समझौते की आवश्यकता विभाजन के बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यकों द्वारा महसूस की गई थी, जिसके साथ बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे।
- 1950 में, कुछ अनुमानों के अनुसार, 1950 के पूर्वी पाकिस्तान दंगों और नोआखली दंगों जैसे सांप्रदायिक तनाव और दंगों के बीच, दस लाख से अधिक हिंदू और मुस्लिम पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से चले गए।

नेहरू-लियाकत समझौता का प्रमुख प्रावधान :

- शरणार्थियों को अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए बिना किसी छेड़छाड़ के लौटने की अनुमति दी गई।
- अपहृत महिलाओं और लूटी गई संपत्ति को वापस किया जाना था।
- जबरन धर्मांतरण को मान्यता नहीं दी गई।
- अल्पसंख्यक अधिकारों की पुष्टि की गई।

भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति का आधार :

- भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस बात पर गंभीरता से सहमत हैं कि प्रत्येक अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को, नागरिकता की पूर्ण समानता, धर्म की परवाह किए बिना, जीवन, संस्कृति, संपत्ति और व्यक्तिगत सम्मान के संबंध में सुरक्षा की पूर्ण भावना, आंदोलन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक देश के भीतर और व्यवसाय, भाषण और पूजा की स्वतंत्रता, कानून और नैतिकता के अधीन, संधि में कहा गया है।
- "अल्पसंख्यकों के सदस्यों को अपने देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने, राजनीतिक या अन्य पद संभालने और अपने देश के नागरिक और सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ समान अवसर मिलेगा। दोनों सरकारें इन अधिकारों को मौलिक घोषित करती हैं और इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य करती हैं।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कानून – व्यवस्था को लेकर जारी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर कानून व्यवस्था के संदर्भ में आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है जिसमें कहा गया है कि संविधान की छठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट शासन के तहत आने वाले क्षेत्रों को शामिल करने से क्षेत्र की स्वदेशी और आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, भारत के तीन पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है।
- नागरिकता संशोधन कानून 2019 भारत की नागरिकता देने का कानून है।
- नागरिकता संशोधन कानून 2019 से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है।
- वर्तमान समय में भारत एक उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था वाली शक्ति है, जिसे वैश्विक आकांक्षाओं के साथ – साथ सामरिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर कदमताल करना होगा। अतः भारत शरणार्थियों की समस्या का पहले भी कई बार सामना कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को एक उदारवादी नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। जिससे भारत का " वसुधैव कुटुम्बकम " की अवधारणा सफल हो सके।
- वर्तमान समय में भारत शरणार्थियों की समस्या सहित विश्व को प्रभावित करने वाले अन्य उभरते मुद्दों पर क्षेत्रीय और वैश्विक प्रयासों को आकार देने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकता है।
- इसके अलावा पूर्वोत्तर के लोगों को यह समझाने के लिए और अधिक रचनात्मक ढंग से प्रयास किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र के लोगों की भाषायी, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का संरक्षण किया

जाएगा।

- भारत सरकार को शरणार्थियों की इस समस्या के समाधान के लिए इस समस्या से प्रभावित अन्य देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए जिससे मानवीय गरिमा, मानवाधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अनुरूप नीति का विकास कर लोगों की मदद की जा सके।
- भारत को शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों को उनके मूल देश में वापस भेजने के लिए उस पडोसी देशों के साथ प्रभावी प्रत्यावर्तन समझौते की कोशिश करनी चाहिए ।
- भारत सरकार को वैध यात्रा दस्तावेज़ों के साथ आए शरणार्थियों को सीमित रूप से नागरिकता देने के संबंध में विचार करना चाहिए।
- भारतीय नागरिकता के मौलिक कर्त्तव्यों में अपने पड़ोसी देशों में सताए गए लोंगों की सुरक्षा करना शामिल है लेकिन सुरक्षा कार्य संविधान के अनुसार होना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. नागरिकता संशोधन कानून 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह धार्मिक पहचान के आधार पर दिया जाने वाला नागरिकता कानून है जिसमें सभी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी।
2. नागरिकता संशोधन कानून 2019 छठी अनुसूची में शामिल राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।
3. भारत में केंद्र एवं राज्य संबंधों के तहत दोहरी नागरिकता प्रदान करने की पद्धति को अपनाया गया है।
4. नागरिकता संशोधन कानून 2019 भारत की नागरिकता देने का कानून है, न की भारत की नागरिकता छिनने का कानून है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 1 और 4

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 2 और 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में नागरिकता प्रदान करने के प्रमुख प्रावधानों / विधियों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि क्या नागरिकता संशोधन कानून 2019 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है ? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

खेलो इंडिया कार्यक्रम का छठवां संस्करण

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारत की राजनीति एवं शासन व्यवस्था , खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2024, नीति – निर्माण में सरकारी हस्तक्षेप, सामाजिक न्याय , खेल अवसंरचना का निर्माण एवं उन्नयन, सिलंबम स्वदेशी मार्शल आर्ट कला।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत में 19 जनवरी से 31 जनवरी, 2024 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2024 (KIYG-2024) तमिलनाडु के 4 शहरों- चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयंबटूर में आयोजित किया गया।

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2024 (KIYG-2024) के इस छठे संस्करण का समापन 31 जनवरी, 2024 को चेन्नई में हुआ।
- इस खेल प्रतियोगिता में महाराष्ट्र कुल 158 पदकों के साथ चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा। महाराष्ट्र द्वारा प्राप्त पदकों में 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक शामिल हैं।
- इस खेल प्रतियोगिता की मेजबानी की तथा तमिलनाडु ने इस प्रतियोगिता में 38 स्वर्ण, 21 रजत और 39 कांस्य सहित कुल 98 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- हरियाणा 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य सहित कुल 103 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख आयोजन है।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2024 (KIYG-2024) में 26 खेलों में एथलीटों ने कुल 933 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की।
- इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2024 (KIYG-2024) में पहली बार स्क्वैश को शामिल किया गया था।
- इस प्रतियोगिता में सिलंबम नामक स्वदेशी मार्शल आर्ट कला का एक रूप है उसको भी इसमें एक प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित किया गया था।
- इस खेल प्रतियोगिता का शुभंकर – **वीरा मंगई था ।**
  - **रानी वेलु नचियार, जिन्हें प्रेमपूर्वक वीरा मंगई कहा जाता है, एक भारतीय रानी थीं जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था।**
  - **इसके अलावा इस खेल प्रतियोगिता के खेलों के लोगो में प्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की आकृति भी शामिल थी।**

खेलो इंडिया यूथ गेम्स का परिचय :

- यह खेल प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहु – विषयक खेल प्रतियोगिता है।
- इस खेल प्रतियोगिता को प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी में आयोजित किये जाते हैं जो भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा हैं।
- इस खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना है।
- इससे पहले इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता के पिछले 5 संस्करणों का आयोजन दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में किया गया था।

प्रारूप :

- भारत में इस खेल प्रतियोगिता को दो श्रेणियों में आयोजित किया जाता है।
- इस खेल प्रतियोगिता के पहली श्रेणी में 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्र भाग लेते हैं। जबकि
- दूसरी श्रेणी में 21 वर्ष से कम उम्र के कॉलेज के छात्रों के बीच आयोजित किया जाता है।
- इस खेल प्रतियोगिता को एक टीम के चैंपियनशिप प्रारूप में आयोजित किया जाता है, जिसमें एथलीटों के व्यक्तिगत प्रदर्शनों को या उससे संबंधित टीमों द्वारा अर्जित पदकों को उनके संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) की समग्र पदक तालिका में योगदान के रूप में दर्ज किया जाता है।
- इस खेल प्रतियोगिता के आयोजन के समापन पर, सबसे अधिक स्वर्ण पदक हासिल करने वाले राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को विजेता घोषित किया जाता है।
- भारत में इस खेल प्रतियोगिता में महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य को छोड़कर भारत की किसी भी अन्य राज्य की टीम ने आज तकखेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब नहीं जीता है।

महत्वपूर्ण तथ्य :

- खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में आयोजित होगा।
- जिसके लिए हाल ही में अनावरण किया गया शुभंकर, **स्नो लेपर्ड** जिसका नाम **' शीन – ए शी ' या शान है,** जिसका इस आयोजन से आपसी एकता और खेल भावना से प्रेरित एक अनूठा संबंध है।

सिलंबम स्वदेशी मार्शल आर्ट कला का परिचय :

- सिलंबम एक प्राचीन हथियार आधारित मार्शल आर्ट (Weapon-Based Martial Art) है जिसकी उत्पत्ति तमिलकम में हुई जो वर्तमान में भारत का तमिलनाडु राज्य के क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व के सबसे पुराने मार्शल आर्ट कला में से एक है।
- सिलंबम शब्द स्वयं एक खेल के बारे में बताता है। सिलम का अर्थ है – 'पहाड़' (Mountain) और बम का अर्थ होता है – बाँस (Bamboo), जिसका उपयोग मार्शल आर्ट के इस रूप में मुख्य हथियार के रूप में किया जाता है।
- यह केरल के मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू (kalaripayattu) से निकटता रखता है।

खेलो इंडिया या राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम की पृष्ठभूमि :

- भारत की युवा आबादी विश्व के किसी भी अन्य देशों के युवा आबादी में सबसे गतिशील और जीवंत वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसकी लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है।
- भारत में 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की आबादी 27.5% है।
- भारत में भारत के युवाओं का खेलों में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने और उसका प्रभावी रूप से

कार्यान्वयन प्करने के लिए, राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए), शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (एनएसटीएसएस) की मौजूदा योजनाओं को एक ही योजना में शामिल करने पर विचार किया गया था। अतः इसका नाम **" खेलो इंडिया: राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम "** रखा गया है।

1. **राजीव गांधी खेल अभियान – इसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति बुनियादी ढांचा प्रदान करना और प्रतियोगिताओं के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना था।**
2. **शहरी अवसंरचना योजना – इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण खेल अवसंरचना प्रदान करना था ताकि भारत की युवा खेल प्रतिभाओं को अपने कौशल को निखारने के लिए सुविधाएं प्रदान किया जा सकें।**
3. **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज – इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में खेल के प्रति समर्पित युवा प्रतिभाओं की पहचान करना था।**

खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य :

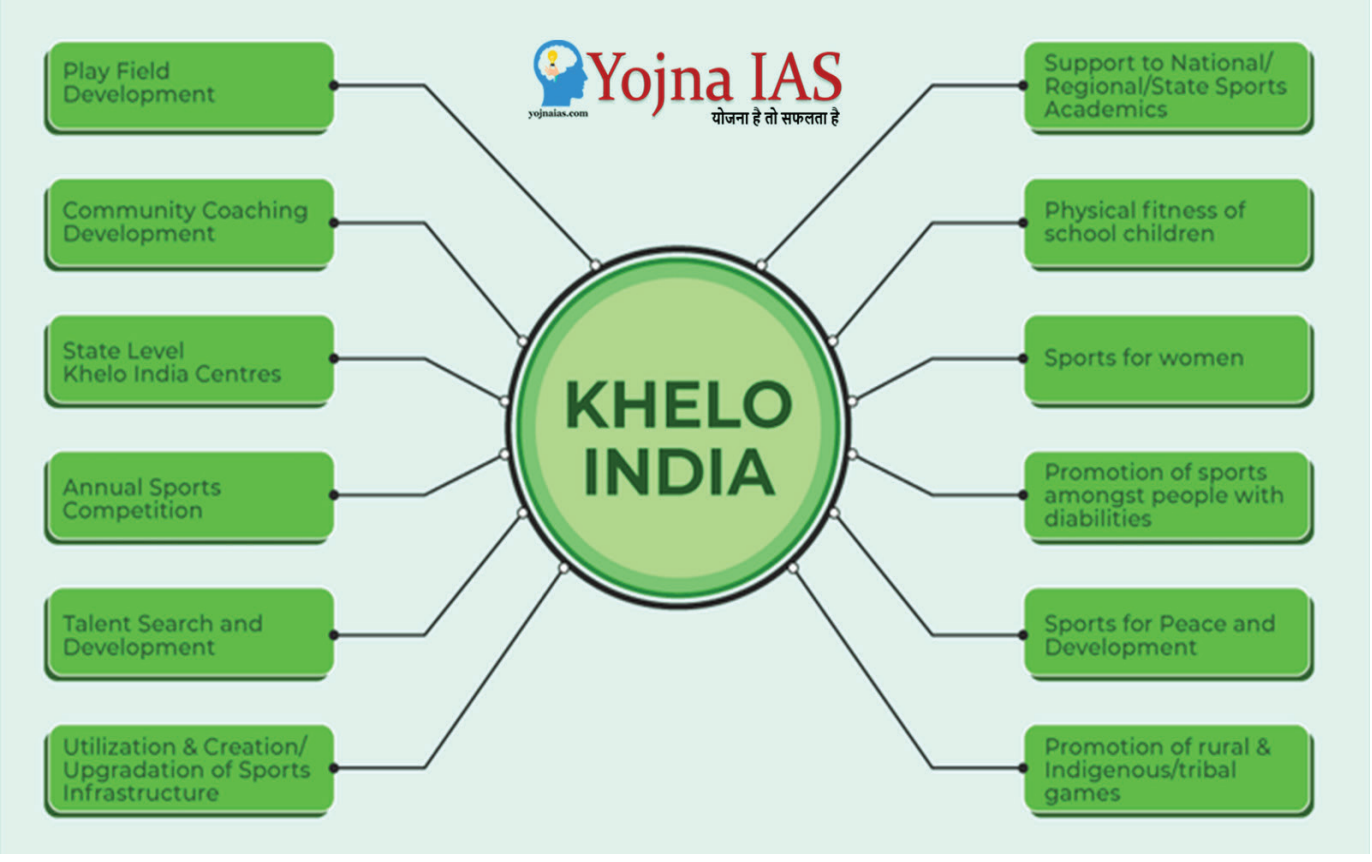

- यह भारत में एक केंद्रीय स्तर की योजना है , जिसके तहत केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा इस योजना कार्यान्वित किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाता है ।

- यह एक अखिल भारतीय खेल छात्रवृत्ति योजना है, जो हर साल खेल के क्षेत्र के 1000 सबसे योग्य और प्रतिभाशाली एथलीटों को खेल छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत चयनित एथलीट को लगातार आठ वर्षों तक पांच लाख रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्रदान किया जाता है।
- यह एथलीटों के लिए दीर्घकालिक रूप से खेलों के प्रति विकास मार्ग बनाने के लिए लागू की जाने वाली भारत की पहली अभूतपूर्व योजना है।
- खिलाड़ी को पढ़ाई और खेल दोनों में आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए, कार्यक्रम का लक्ष्य देश के 20 विश्वविद्यालयों को खेल विशिष्टता के केंद्र के रूप में पहचानना और बढ़ावा देना है।
- इस योजना के तहत भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम उपयोगकर्ता- अनुकूल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसमें खेल के बुनियादी ढांचे का पता लगाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), स्वदेशी खेलों के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल वेबसाइट, एक राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से खेल प्रशिक्षण के लिए सूचना प्रसार करना शामिल है ।
- इस योजना के तहत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के लिए अधिकतम प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करने के लिए, इस कार्यक्रम को स्कूलों और कॉलेजों को उच्च मानकों के तहत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- इस योजना के तहत एक राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस ड्राइव की योजना बनाई गई है, जिसमें 10 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की शारीरिक फिटनेस की जांच की जाती है । इसके अलावा, इस योजना में 10 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की शारीरिक फिटनेस का समर्थन करने वाली गतिविधियों की योजना बनाई गई है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेल अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रतिस्पर्धा संरचना, खेल प्रतिभाओं की पहचान, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था और खेल से संबंधित बुनियादी ढांचे सहित पूरे खेल पारि-स्थितिकी तंत्र को प्रभावित करना है।
- इस कार्यक्रम में वंचित और भारत के अशांत क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को खेल गतिविधियों में शामिल करने की योजना है ताकि उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत मुख्यधारा में लाया जा सके और देश की एकता और अखंडता से संबंधित विघटनकारी गतिविधियों से दूर रखा जा सके।
- जिस उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, वह देश में खेल और संबंधित बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर देता है।

खेलो इंडिया कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र :

भारत में खेलो इंडिया कार्यक्रम को 12 कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जिसमें शामिल है –

1. शांति और विकास के लिए खेल – प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

2. ग्रामीण और स्वदेशी या जनजातीय खेलों को प्रोत्साहन देना।
3. राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्रों का निर्माण एवं विकास करना।
4. राष्ट्रीय /क्षेत्रीय /राज्य खेल शिक्षाविदों को सहायता प्रदान करना।
5. स्कूली विद्यार्थियों का शारीरिक स्वास्थ्य के फिटनेस के प्रति जागरूक करना ।
6. दिव्यांगों के मध्य खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देना ।
7. महिलाओं के लिए खेल – प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।
8. प्रति वर्ष वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना ।
9. खेल प्रतिभाओं की खोज करना और उसका विकास करना।
10. खेलों अवसंरचना का विकास और उन्नयन करना।
11. खेल के मैदानों का विकास करना।
12. सामुदायिक अनुशिक्षण (कोचिंग) के विकास में वित्त पोषण करना।

खेलो इंडिया योजना का प्रभाव :

- खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में वार्षिक प्रतिस्पर्धी मंच, बुनियादी ढांचा प्रदान करके खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उसका कौशल विकास करके खेल संस्कृति का निर्माण करने के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से एक व्यापक तंत्र बनाया गया था।
- भारत में वार्षिक खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से, 17 वर्ष और 21 वर्ष के आयु वर्ग के एथलीटों को हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर हर साल अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है।
- 2019 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए खेलो इंडिया मोबाइल ऐप ने 23 लाख से अधिक स्कूली बच्चों के फिटनेस मापदंडों का आकलन किया है, इस प्रकार 5 वर्ष की आयु से भविष्य की खेल प्रतिभा की पहचान की गई है।
- इसके तहत स्वदेशी खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी विशेष योजना चलाई जा रही है । स्वदेशी खेलों के एथलीटों को आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता (ओपीए), शीर्ष केंद्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाती हैं।
- खेलों में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एवं खेलों के माध्यम से अपनी पहचान बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशिष्ट योजनाएं लागू की गईं, है। इसके साथ – ही – साथ दिव्यांगों को सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान देना, उनके लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना और खेलों के प्रति उनका समर्थन करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत के युवा खेल प्रतिभाओं की वर्तमान स्थिति तो उन्नत है ही किन्तु खेल के दृष्टिकोण से इसका भविष्य भी अत्यंत उज्ज्वल है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कुछ पहलों द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम को सफलीभूत किया जा सकता है –

खेल अवसंरचना का निर्माण एवं उन्नयन : सरकार को देश भर में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों तथा आकांक्षी ज़िलों में खेल अवसंरचना के निर्माण एवं उन्नयन में अधिक निवेश करना चाहिए ।

खेलो इंडिया केंद्र एवं खेल अकादमियों की स्थापना करना : सरकार को प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, प्रशिक्षण, उपकरण, पोषण, चिकित्सा सहायता तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु देश भर में और अधिक खेलो इंडिया केंद्र एवं खेल अकादमियाँ स्थापित करनी चाहिए ।

फिट इंडिया मूवमेंट : सरकार को फिट इंडिया मूवमेंट को एक जन अभियान के रूप में बढ़ावा देना चाहिये ताकि समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके तथा शारीरिक गतिविधि एवं फिटनेस को प्रोत्साहित किया जा सके।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी : सरकार को खेल अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) जैसी अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण का भी लाभ उठाना चाहिए ।

खेल प्रतियोगिताएँ एवं प्रतिभा विकास : सरकार को युवा एथलीटों को प्रदर्शन एवं अवसर प्रदान करने हेतु स्कूल, ज़िला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर जैसे विभिन्न स्तरों पर अधिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए ।

खेल के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना : सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खेल समाज

के सभी वर्गों, विशेष रूप से लड़कियों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों तथा हाशिये के समूहों हेतु सस्ती एवं सुलभ हो। सरकार द्वारा इन समूहों के बीच भागीदारी एवं उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन, आरक्षण, कोटा तथा पुरस्कार भी प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस खेल प्रतियोगिता का शुभंकर – वीरा मंगई था ।
2. इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन चेन्नई, मुंबई , मदुरै और कोयंबटूर हुआ था।
3. खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2024 के इस पांचवें संस्करण का समापन 31 जनवरी, 2024 को चेन्नई में हुआ।
4. भारत में इस खेल प्रतियोगिता को चार श्रेणियों में आयोजित किया जाता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) केवल 4

(D) केवल 1

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत खेल अवसंरचना का निर्माण, उन्नयन और सभी का समावेशन के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं ? तर्कसंगत समाधान प्रस्तुत कीजिए।

भारत – ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौता

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – अंतर्राष्ट्रीय संबंध , भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास , भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौता, व्यापार सुगमीकरण, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार एवं सतत विकास, निवेश संवर्धन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 10 मार्च, 2024 को, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ने एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किया है।
- ईएफटीए एक अंतर – सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी।
- इसका उद्देश्य अपने चार सदस्य देशों को लाभ पहुंचाने के लिए मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- भारत ईएफटीए देशों, जिनमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन शामिल हैं, के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौता (टीईपीए) पर काम करता रहा है।
- भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईएफटीए देशों के साथ टीईपीए पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
- यह एक संतुलित और मुक्त व्यापार समझौता है जो वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, नवाचार में दोतरफा व्यापार के साथ ही उभरते भारत की आकांक्षाओं तथा नई वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को दर्शाता है।

- भारत के लिए यह अपनी तरह का पहला व्यापार समझौता है जिसके माध्यम से भारत ने पश्चिमी देशों के किसी समूह के साथ व्यापारिक समझौता किया है।
- इस समझौते पर वर्ष 2008 से ही काम चल रहा था, लेकिन यूपीए सरकार के जाने के बाद यह भारत सरकार की प्रमुख कार्यसूची से बाहर चला गया था।
- यह समझौता आसान वीजा नियमों के साथ भारतीय सेवा कंपनियों के लिए यूरोप के बाजार तक पहुंच को सुगम और आसान बनाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 'भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते' पर हस्ताक्षर किए जाने की सराहना की।

भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने एवं हमारे देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है: प्रधानमंत्री

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का परिचय :

- ईएफटीए अपने चार सदस्य देशों जिनमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन शामिल हैं के लाभ के लिए मुक्त व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सन 1960 में गठित एक अंतर – सरकारी संगठन है।
- ईएफटीए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने के लिए निरंतर अवसर बढ़ रहे हैं।ई एफटीए यूरोप में तीन महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉकों में से एक है (अन्य दो यूरोपीय संघ और यूके हैं)। ईएफटीए देशों में से स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है उसके बाद नॉर्वे भी भारत का एक मुख्य व्यापारिक साझीदार देश है।
- टीईपीए एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी द्विपक्षीय व्यापार समझौता है।
- भारत पहली बार, यूरोप के चार विकसित देशों में से एक महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉक के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर कर रहा है जो महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर प्रदान करता है और मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) का परिचय :

- मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता होता है।
- मुक्त व्यापार समझौता के द्वारा एक मुक्त व्यापार नीति के तहत किसी भी वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसके लिए बहुत कम या न्यून सरकारी सीमा शुल्क या कोटा या सब्सिडी दिया जाता है।
- मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) के विपरीत होता है।

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौते की मुख्य विशेषताएं :

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौते में मुख्य रूप से 14 अध्याय शामिल हैं। अतः भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौते की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार के हैं –

प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन के उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देना :

- ईएफटीए द्वारा भारत में अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों को सृजित करने या प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह ऐतिहासिक प्रतिबद्धता लक्ष्य-उन्मुख निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक बाध्यकारी समझौते को रेखांकित करती है, जो एफटीए के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो महत्वपूर्ण

आर्थिक अवसर प्रदान करता है और मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।

- इस निवेश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं है।

बाज़ार तक पहुंच और शुल्क में रियायत प्रदान करना :

- ईएफटीए अपनी 92.2 प्रतिशत टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है जो भारत के 99.6 प्रतिशत निर्यात को कवर करता है। ईएफटीए के बाजार पहुंच प्रस्ताव में 100 प्रतिशत गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद (पीएपी) पर टैरिफ रियायत शामिल है।
- भारत अपनी 82.7 प्रतिशत टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है जिसमें 95.3 प्रतिशत ईएफटीए निर्यात शामिल है जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक सोना का आयात शामिल है। सोने पर आयात शुल्क नहीं लगाने का विचार किया गया है।

क्षेत्रीय प्रतिबद्धताएँ सुनिश्चित करना :

- भारत ईएफटीए के लिए 105 उप-क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित करता है, जिसमें स्विट्जरलैंड से 128, नॉर्वे से 114, लिकटेंस्टीन से 107 और आइसलैंड से 110 शामिल हैं।
- इसमें फार्मा, चिकित्सा उपकरणों और प्रसंस्कृत खाद्य आदि क्षेत्रों में पीएलआई से संबंधित संवेदनशीलता को ध्यान में रखा गया है। जबकि इसमें डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पाद जैसे कुछ क्षेत्रों के प्रस्तावों को इससे बाहर रखा गया है।

सेवाओं के निर्यात और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को प्रोत्साहित करना :

- यह व्यापारिक समझौता (टीईपीए) प्रमुख ताकतवर या रुचि के क्षेत्रों जैसे आईटी सेवाओं, व्याव-

सायिक सेवाओं, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, खेल और मनोरंजक सेवाओं और अन्य शिक्षा सेवाओं तथा ऑडियो- विजुअल सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करेगा।

- टीईपीए में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रतिबद्धताएं ट्रिप्स स्तर पर हैं। स्विट्जरलैंड के साथ आईपीआर अध्याय, जहां आईपीआर के लिए उच्च मानक हैं, हमारी मजबूत आईपीआर व्यवस्था को दर्शाता है। जेनेरिक दवाओं में भारत के हितों और पेटेंट की सदाबहारता (एवरग्रीनिंग) यानी सदाब-हार की प्रक्रिया में शामिल पेटेंट कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के विशिष्ट पहलू, से संबंधित चिंताओं को पूरी तरह से संबोधित किया गया है।

सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी को प्रोत्साहित करना :

- ईएफटीए की सेवाओं की पेशकश में सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी, वाणिज्यिक उपस्थिति और प्रमुख कर्मियों के प्रवेश और अस्थायी प्रवास के लिए बेहतर प्रतिबद्धताओं और निश्चितता के माध्यम से बेहतर पहुंच को शामिल किया गया है।

व्यावसायिक सेवाओं में पारस्परिक मान्यता देने का प्रावधान :

- टीईपीए में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि जैसी व्यावसायिक सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों के प्रावधान भी शामिल हैं।

सतत – विकास, समावेशी विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता :

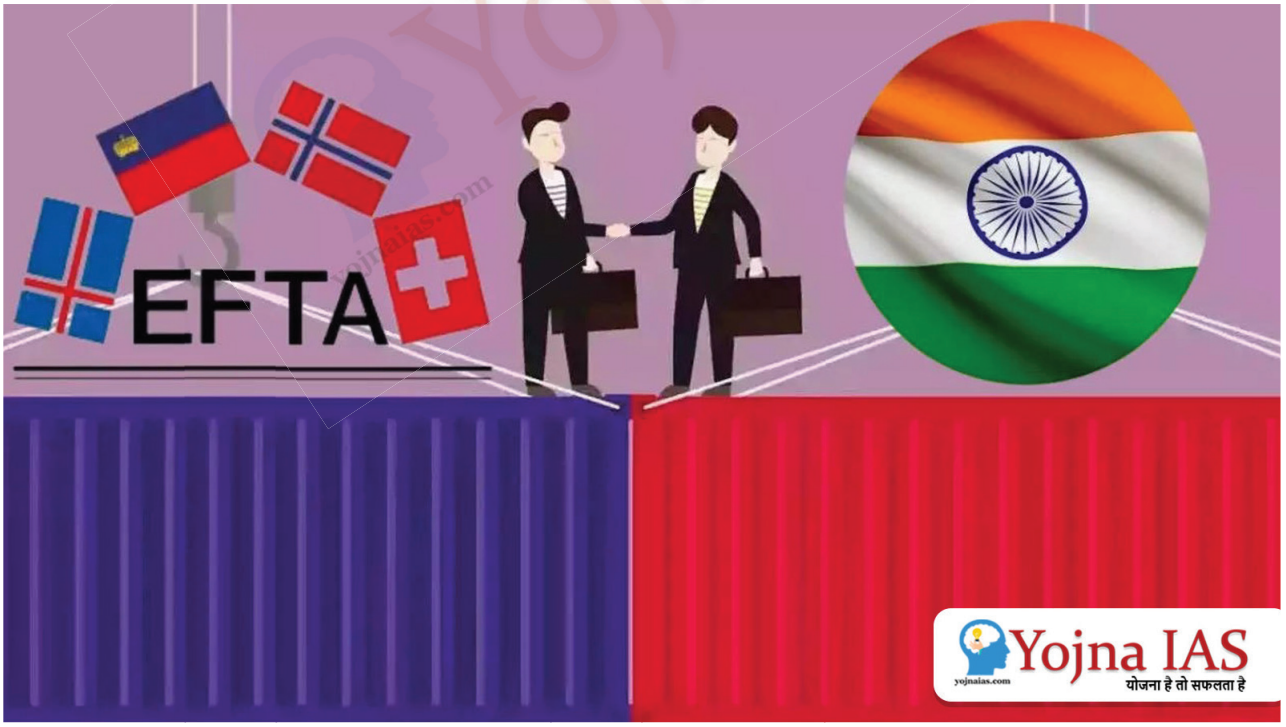

- टीईपीए के तहत भारत सतत विकास, समावेशी विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए दृढ़ संकल्पित है।

भारत के निर्यातकों के लिए व्यापार अनुकूल और निवेश का माहौल तैयार करना :

- टीईपीए भारतीय निर्यातकों को विशेष इनपुट तक पहुंच को सशक्त बनाएगा और व्यापार अनुकूल और निवेश माहौल को तैयार करेगा। इससे भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और साथ – ही – साथ यह सेवा क्षेत्र को अधिक बाजारों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करेगा।

व्यापार प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, दक्षता, सरलीकरण, सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा देना :

- टीईपीए के तहत भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, दक्षता, व्यापर सरलीकरण, सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा देता है।

यूरोपीय संघ के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करना :

- टीईपीए यूरोपीय संघ के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करता है।
- स्विट्ज़रलैंड का 40 प्रतिशत से अधिक वैश्विक सेवा निर्यात यूरोपीय संघ को होता है।
- भारतीय कंपनियां यूरोपीय संघ तक अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड को आधार के रूप में देख सकती हैं।
- यह यूरोपीय संघ के बाजारों में एकीकृत होने का अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से स्विट्जरलैंड के माध्यम से, जो यूरोपीय संघ के बाजारों तक पहुंच के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।

घरेलू विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना :

- टीईपीए बुनियादी ढांचे, फार्मास्यूटिकल्स और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके "मेक इन इंडिया" और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है।
- यह अगले 15 वर्षों में भारत के युवा कार्यबल के लिए रोजगार सृजन में तेजी लाएगा और प्रौद्योगिकी सहयोग और अग्रणी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।

नवाचार और अनुसंधान एवं विकास में विश्व की अग्रणी प्रौद्योगिकियों का सहयोग और पहुंच की सुविधा प्रदान करना :

- टीईपीए भारत में अगले 15 वर्षों में व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाओं सहित भारत के युवा महत्वाकांक्षी कार्यबल के लिए बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगारों के सृजन में तेजी लाएगा। टीईपीए सटीक इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास में प्रौद्योगिकी सहयोग और विश्व की

अग्रणी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की सुविधा भी प्रदान करता है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- इस मुक्त व्यापर समझौते के तहत भारत को मिलने वाले सीमित लाभ के बावजूद भारत का इन चार यूरोपीय यूनियन राष्ट्रों के साथ यह मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह आधुनिक और महत्वाकांक्षी समझौता यूरोप के चार विकसित देशों के साथ भारत के पहले मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का प्रतीक है, जो महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर प्रदान करता है और मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।
- यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जो वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक आदान-प्रदान में सुधार के लिए कई संभावनाएं प्रदान करता है। ईएफटीए यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ यूरोप के भीतर एक प्रमुख आर्थिक इकाई है, जिसके साथ भारत का द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता भारत की तेजी से बढती अर्थव्यवस्था के लिए " मील का पत्थर " साबित होगा।
- मुक्त व्यापार शुरू होने के बाद इन देशों से भारत आने वाले सामनों की कीमतों में कटौती होगी, क्योंकि इस मुक्त व्यापर समझौते के तहत ये देश अपने आयात शुल्क को कम करेंगे। वहीं भारत से निर्यात किए वाले वस्तुओं के आयात शुल्क में भी कटौती आएगी। उदाहरण के लिए – स्विजरलैंड से स्विस चॉकलेट, घड़ी और बिस्कुट भारतीय बाजार में ज्यादा बिकता है। ऐसे में इस द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते से इनकी कीमतों में कमी आएगी।
- इससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर,व्यापार समझौतों पर बातचीत और हस्ताक्षर करने में सुविधा

मिलेगी।

- यह अपने सदस्य देशों के बाज़ारों तक पहुंच प्रदान करता है। यह व्यापार और निवेश के अवसरों को सुविधाजनक बनाता है, तथा यह व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ में कटौती और रियायतें लागू करता है।
- ईएफटीए समझौता यह भी दिखाता है कि भारत पहली बार एक आर्थिक समझौते में श्रम, मानवाधिकार, पर्यावरण और लिंग जैसे गैर – व्यापारिक मुद्दों को शामिल करने के लिए राजी हुआ है। इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या व्यापारिक समझौतों में इन मुद्दों का समावेश करना आवश्यक है या नहीं है , लेकिन यह ईयू जैसे उन संभावित सहयोगियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है जो इन्हें बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. ईएफटीए एक अंतर – सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना सन 1990 में हुई थी।
2. मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत होता है।
3. भारत के राष्ट्रपति ने ईएफटीए देशों के साथ टीईपीए पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
4. ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन शामिल हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A). केवल 1 और 3

(B). केवल 2 और 4

(C). केवल 1 और 4

(D). केवल 2 और 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार एवं आर्थिक साझीदारी समझौता के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि यह मुक्त व्यापार समझौता किस प्रकार द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

भारतीय निर्वाचन आयोग और चुनावी बॉण्ड

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – चुनावी बॉण्ड योजना, राजनीतिक दल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनाव प्रक्रिया पर चुनावी बॉण्ड का प्रभाव, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेहिता, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

खबरों में क्यों ?

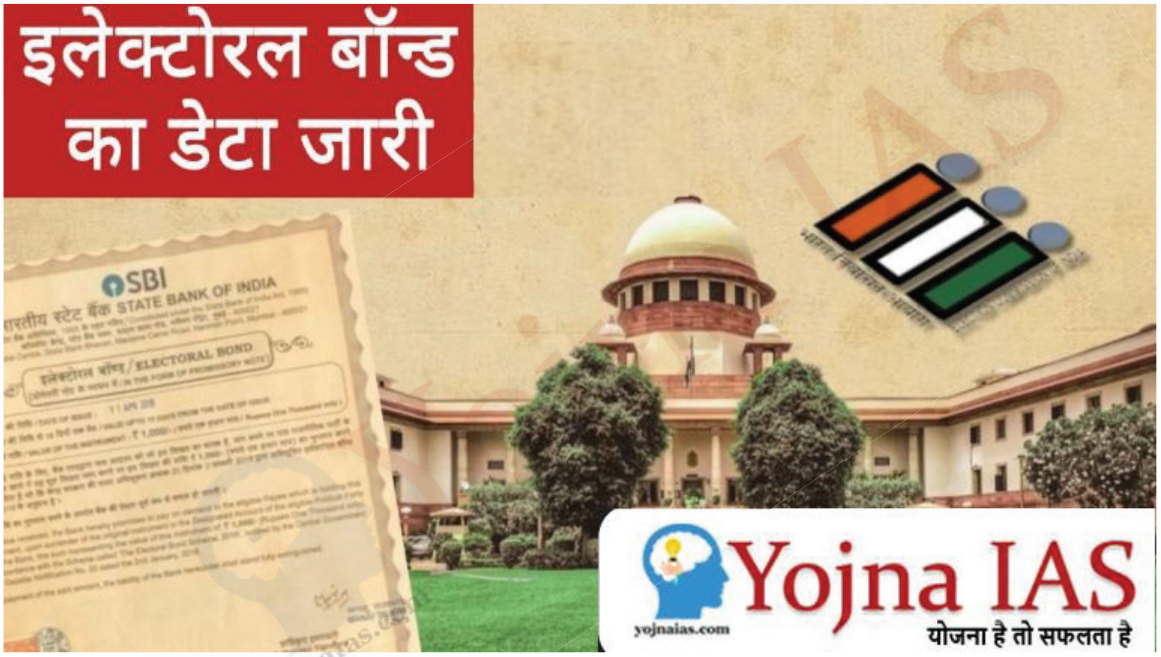

- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय के सख्त निर्देश के बाद, भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ चुनावी बांड का डेटा साझा किया था।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए 15 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया था।
- चुनाव आयोग ने 'एसबीआई द्वारा प्रस्तुत चुनावी बांड के प्रकटीकरण' पर विवरण दो भागों में रखा है।
- पोल पैनल द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड के खरीदारों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, सुला वाइन, वेलस्पन, और सन फार्मा, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर शामिल हैं।
- आंकड़ों के मुताबिक चुनावी बांड भुनाने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, राजद,

आप और समाजवादी पार्टी शामिल हैं।

- भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा 15 फरवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था, जिसने गुप्त राजनीतिक फंडिंग की अनुमति दी थी, इसे "असंवैधानिक" कहा था और चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। .
- स्टेट बैंक द्वारा जारी चुनावी बांड के आंकड़ों के अनुसार, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर, जिसके प्रबंध निदेशक जाने-माने लॉटरी मैग्नेट सैंटियागो मार्टिन हैं, 12 अप्रैल, 2019 और 24 जनवरी, 2024 के बीच राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़े दानकर्ता थे। भारत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया।
- इस अवधि के दौरान फर्म ने चुनावी बांड के माध्यम से ₹1,368 करोड़ की संचयी राशि दान की। संयोग से, प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2022 में इस फर्म और अन्य कंपनियों के बैंक खातों में ₹411 करोड़ जब्त किए थे और बाद में 9 सितंबर 2023 को पीएमएलए कोर्ट, कोलकाता के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत इसके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।.
- भारतीय जनता पार्टी ने 12 अप्रैल, 2019 और 24 जनवरी, 2024 के बीच ₹6060.5 करोड़ के चुनावी बांड प्राप्त किया है, जो भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्राप्त चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त राशियों में सबसे अधिक है। इस अवधि में, भुनाए गए कुल बांड में भाजपा की हिस्सेदारी 47.5% से अधिक थी।
- भारतीय तृणमूल कांग्रेस को चुनावी बांड के माध्यम से ₹1,609.50 करोड़ (12.6%) की राशि प्राप्त हुई और इसके बाद कांग्रेस को ₹1,421.9 करोड़ (11.1%) प्राप्त हुआ था , जो इस अवधि में नकदीकरण के मामले में दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टियां हैं।

भारत में चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़ा क्रमिक विकास :

भारत में चुनावी बॉन्ड योजना विभिन्न राजनीतिक दलों को फंडिंग का एक तरीका है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय की पांच – न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी 2024 को इसे रद्द करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

- भारत में वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में चुनावी बॉन्ड योजना पेश की गई थी।
- 14 सितंबर, 2017 को 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) नामक एनजीओ ने मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में इस योजना के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में चुनौती पेश किया।
- 03 अक्टूबर, 2017 को उच्चतम न्यायालय ने उस एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
- 2 जनवरी, 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को भारत में अधिसूचित किया।
- 7 नवंबर, 2022को चुनावी बॉन्ड योजना में एक वर्ष में बिक्री के दिनों को 70 से बढ़ाकर 85 करने के लिए संशोधन किया गया, जहां कोई भी विधानसभा चुनाव निर्धारित हो सकता है।

- 6 अक्टूबर, 2023 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय के बेंच ने इस योजना के खिलाफ याचिकाओं को पांच – न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा।
- 31 अक्टूबर, 2023 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
- 2 नवंबर, 2023 को उच्चतम न्यायालय ने इस योजना में अपना फैसला सुरक्षित रखा।
- 15 फरवरी, 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि – यह भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।

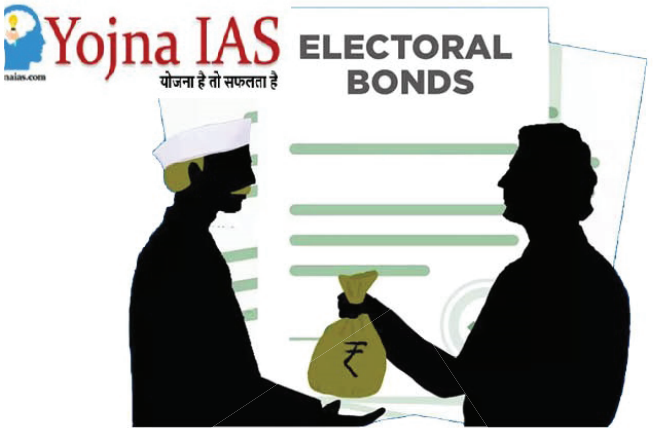

चुनावी बॉन्ड क्या है...

- 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए थे। 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया।
- ये एक तरह का प्रोमिसरी या बैंक नोट है। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है।
- ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में मिल जाएगा। खरीदने वाला इसे पसंदीदा राजनैतिक पार्टी को डोनेट कर सकता है।
- बॉन्ड पाने वाली पार्टी इसके लिए योग्य होनी चाहिए, यानी पिछले चुनाव में उसे मतदान का कम से कम 1% वोट हासिल हुआ हो।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सहमत हुआ था। वे दो महत्वपूर्ण मुद्दा निम्नलिखित है –

1. राजनीतिक दलों को गुप्त दान की वैधानिकता और राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के बारे में जानकारी के नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन, संभावित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।
2. ये मुद्दे संवैधानिक अनुच्छेद 19, 14 और 21 के उल्लंघन से संबंधित हैं।

चुनावी बॉण्ड योजना का परिचय एवं पृष्ठभूमि :

- भारत में चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू भी कर दिया गया था।
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दानदाताओं की नाम को

गुप्त रखते हुए या सार्वजानिक किए बिना पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में कार्य करते हैं।

चुनावी बॉण्ड योजना की विशेषताएँ :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बॉण्ड जारी करता है।
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया यह बॉण्ड ब्याज मुक्त होता है और धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है।
- इस बॉण्ड को कोई भी भारतीय नागरिक अथवा भारत में स्थापित कोई भी संस्थाएँ खरीद सकती हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड को व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से भी खरीदा जा सकता है।
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी यह चुनावी बॉण्ड जारी होने की तिथि से मात्र 15 दिनों तक के लिए ही वैध होता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक :

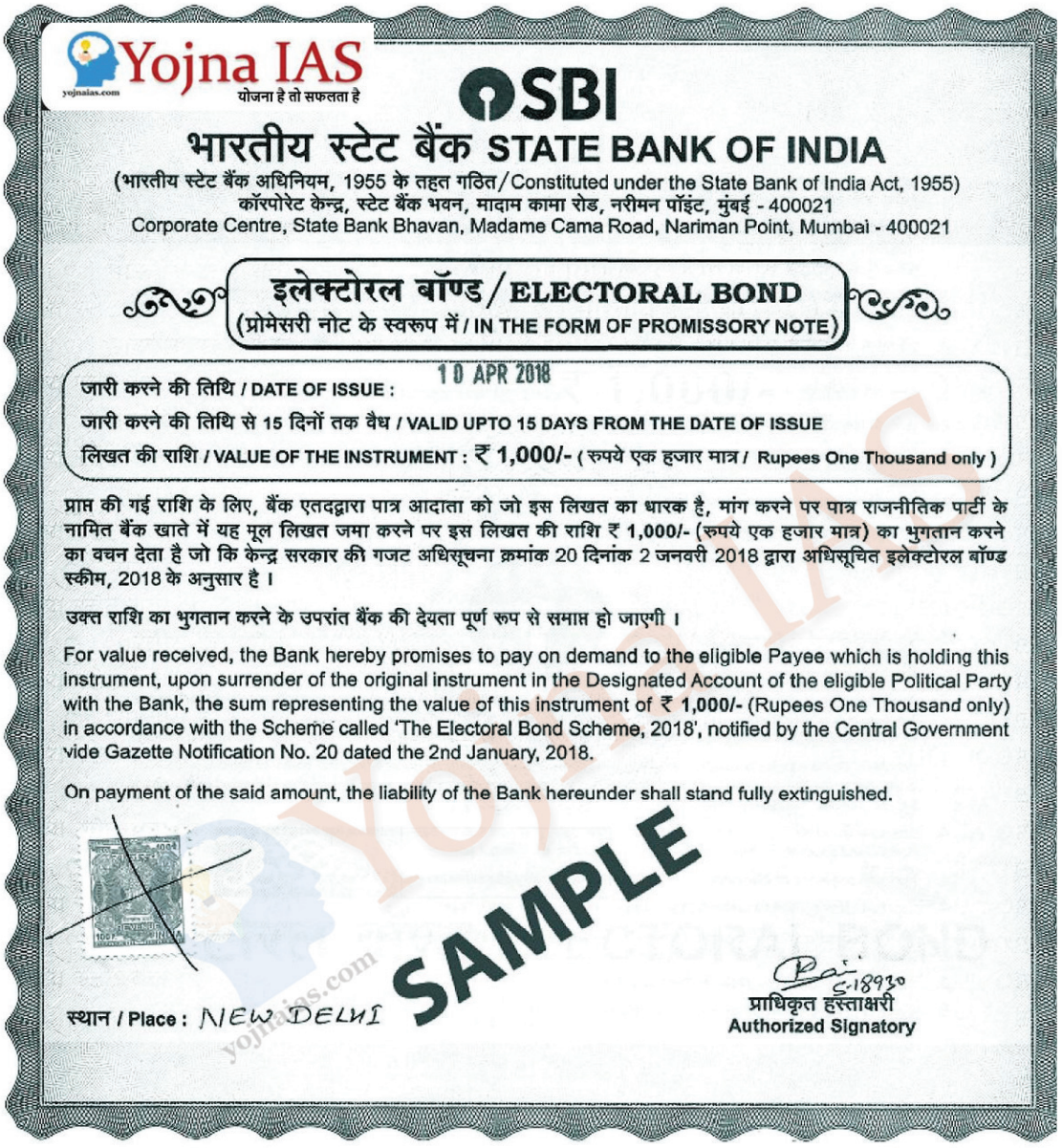

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है

SBI

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955)
कॉरपोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

इलेक्टोरल बॉण्ड/ELECTORAL BOND
(प्रोमेसरी नोट के स्वरूप में/IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE : 10 APR 2018
जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE
लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT : ₹ 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र / Rupees One Thousand only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतदद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, मांग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है ।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी ।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,000/- (Rupees One Thousand only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No. 20 dated the 2nd January, 2018.

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished.

SAMPLE

स्थान / Place : NEW DELHI

प्राधिकृत हस्ताक्षरी
Authorized Signatory

- भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक है।
- भारत में चुनावी बॉण्ड नामित भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं।

भारत में चुनावी बॉण्ड खरीदने के राजनीतिक दलों की पात्रता :

- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A** के तहत भारत में केवल वही पंजीकृत राजनीतिक दल ही, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा अथवा विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम – से – कम 1% वोट हासिल किया हो, वही इस चुनावी बॉण्ड को खरीदने के लिए पात्र होते हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड डिजिटल माध्यम अथवा चेक के माध्यम से ही खरीदे जा सकते हैं।

- भारत में चुनावी बॉण्ड का नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही किया जा सकता है।

चुनावी बॉण्ड के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही :

- भारत में राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के सामने अपने बैंक खाते के विवरणों का खुलासा करना अनिवार्य होता है।
- चुनावी बॉण्ड में प्रति पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान दिया जाता है।
- भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड से प्राप्त धन के उपयोग का विवरण देना अनिवार्य होता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड योजना का लाभ :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत प्राप्त धन राशि से भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी फंडिंग में होने वाले खर्चों की पारदर्शिता में वृद्धि होती है ।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत प्राप्त धन के रूप में या प्राप्त दान के रूप में प्राप्त धन के उपयोग का ब्रज्नीतिक दलों को खुलासा करने की जवाबदेही होती है ।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत नकद रूप में या नकदी लेन-देन में कमी आती है ।
- दानकर्ताओं के नाम को गुप्त रखा जाता है या दानदाता की पहचान की गोपनीयता का संरक्षण किया जाता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित मुख्य चिंताएँ और चुनौतियाँ :

चुनावी बॉण्ड योजना का अपने मूल विचार के विपरीत होना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की आलोचना का मुख्य कारण यह है कि यह अपने मूल विचार अथवा उद्देश्य, चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने, के बिल्कुल विपरीत काम करती है।
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित आलोचकों के एक वर्ग का यह तर्क है कि चुनावी बॉण्ड की गोपनीयता केवल जनता और विपक्षी दलों के लिए ही होता है, यह दान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों पर/ के लिए लागू नहीं होता है।

चुनावी बॉण्ड योजना के तहत ज़बरन वसूली की प्रबल संभावना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, जिससे सत्तारूढ़ सरकार को यह पता चल जाता है कि उसके विरोधियों की पार्टियों को कौन – कौन फंडिंग कर रहा है।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत सत्तारूढ़ पार्टी या वर्तमान सरकार को विशेष रूप से बड़ी कंपनियों से पैसे वसूलने के लिए यह सुविधा प्रदान करता है या कभी -कभी यह सत्ताधारी पार्टी को धन न देने

के लिए उस व्यक्ति या उस कंपनी को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा परेशान करने की प्रबल संभावना को भी दर्शाता है। यह किसी भी तरह से सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करता है।

सूचना के अधिकार से समझौता होने की प्रबल संभावना :

- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से यह माना है कि सूचना का अधिकार विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में, भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभिन्न अंग है।
- भारत में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉण्ड योजना को दो वित्त अधिनियमों वित्त अधिनियम, 2017 और वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से इसमें कई संशोधन किए थे, दोनों वित्त अधिनियमों को **'धन विधेयक'** के रूप में लोकसभा में पारित किया गया था ।
- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्त्ताओं ने इन संशोधनों को **'असंवैधानिक', 'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों' और 'मौलिक अधिकारों'** की एक श्रृंखला का उल्लंघन बताते हुए ही चुनावी बॉण्ड योजना चुनौती दी थी।

निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया के विरुद्ध :

- भारत में चुनावी बॉण्ड भारतीय नागरिकों को प्राप्त किए गए धन के स्त्रोत का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करता है।
- चुनावी बॉण्ड के रूप में दिए गए दान दाताओं के नाम को गुप्त रखना या उसके नाम को सार्वजानिक नहीं करने से उक्त गुमनामी का असर तत्कालीन सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों या सरकार पर लागू नहीं होती है, जो हमेशा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से डेटा की मांग करके दाता के विवरण तक पहुँच सकती है।
- यह है कि सत्ता में मौजूद सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को बाधित कर सकती है।

भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के मूल अवधारण के विरुद्ध :

- भारत में केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान के नाम को बताने में छूट प्रदान की है।
- भारत के किसी भी नागरिकों या मतदाताओं को यह कभी पता ही नहीं चलता है कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने या किस संगठन ने किस पार्टी को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से कितनी मात्रा में फंड प्रदान किया है।
- किसी भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाले देश के एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों को अपना वोट देते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः भारत के नागरिकों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को कितना धन प्राप्त हुआ है , को जानने का अधिकार होना ही चाहिए।

बड़े कार्पोरेट घरानों और बड़े व्यावसायिक घरानों के लाभ पर केंद्रित होना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट चंदा और भारतीय तथा विदेशी कंपनियों द्वारा गुप्त रूप से वित्तपोषण के द्वार खोल दिया हैं, जिसका भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर असर हो सकता है।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत भारत में कॉर्पोरेट और यहाँ तक कि विदेशी संस्थाओं द्वारा दिए गए दान पर कर में 100% छूट से बड़े व्यावसायिक घरानों को लाभ होता है।

घोर पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज़्म) को बढ़ावा देना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक रूप से प्राप्त चंदे पर पूर्व में मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी संसाधन वाले निगमों को चुनावों को वित्तपोषित करने की अनुमति देती है। परिणामस्वरूप क्रोनी कैपिटलिज़्म का मार्ग प्रशस्त होता है।
- घोर पूंजीवाद/ साठगांठ वाला पूंजीवाद / क्रोनी कैपिटलिज़्म में व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और साठगांठ वाला पूंजीवादीआर्थिक प्रणाली है। जिससे भारत के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

निष्कर्ष / समाधान :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय को लागू करने करने की अत्यंत जरूरत

है ।

- भारत में राजनीतिक दलों के लिए चंदा प्राप्त करने के संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष स्पष्टीकरण संबंधी सख्त नियम लागू होना चाहिए और भारत निर्वाचन आयोग को किसी भी प्रकार के दान की जाँच करने तथा चुनावी बॉण्ड एवं चुनाव एवं चुनाव में व्यय होने वाले धन दोनों ही के संबंध में स्पष्टीकरण देने का सख्त प्रावधान होना चाहिए
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से प्राप्त धन के संबंध में संभावित दुरुपयोग, दान सीमा के उल्लंघन और क्रोनी पूंजीवाद तथा काले धन के प्रवाह जैसे जोखिमों को रोकने के लिए चुनावी बॉण्ड में वर्तमान में मौजूद कमियों की पहचान करके उसका समाधान करने की अत्यंत जरूरत है।
- वर्तमान भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में लोकतंत्र के प्रति उभरती चिंताओं को दूर करने, बदलते राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल ढलने और लोकतंत्र में अधिक समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जाँच, आवधिक समीक्षा तथा सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से चुनावी बॉण्ड योजना की समयबद्ध निगरानी करने को सुनिश्चित करने की अत्यंत जरूरत है।
- भारत के लोकतंत्र और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के दुष्चक्र और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए राजनीतिक स्तर पर साहसिक सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी विनियमन की अत्यंत आवश्यकता है।
- भारत के लोकतंत्र में संपूर्ण शासन तंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना में व्याप्त मौजूदा कानूनों की खामियों को दूर करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- भारतीय लोकतंत्र में मतदाता जागरूकता अभियानों की शुरुआत कर मौजूदा चुनावी बॉण्ड योजना में महत्त्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता हैं।
- भारतीय लोकतंत्र में यदि मतदाता लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति जागरूक होकर उन उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अस्वीकार कर देते हैं जो चुनावों में अधिक धन खर्च करते हैं या मतदाताओं को रिश्वत देते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र अपने मूल उद्देश्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ जाएगा। जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के लोकतंत्र के प्रति उज्जवल भविष्य के संकेत है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चुनावी बॉण्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में चुनावी बॉन्ड योजना पेश की गई थी।
2. भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया है।
3. भारत में चुनावी बॉण्ड नकद , डिजिटल माध्यम, डिमांड ड्राफ्ट, एटीएम और चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं।

4. चुनावी बॉण्ड ब्याज मुक्त होता है और धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 3

(c) केवल 2 और 4

(D) केवल 1 और 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चुनावी बॉण्ड से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए कि भारत में चुनावी बॉण्ड स्वच्छ, निष्पक्ष, कदाचारमुक्त और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

खुदरा मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2024

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, खुदरा मुद्रास्फीति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मौद्रिक नीति समिति (MPC), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), भारत में खाद्य मुद्रास्फीति, किसानों पर बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव और देश के व्यापक आर्थिक संकेतक, उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (CFPI), न्यूनतम समर्थन मूल्य।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में फरवरी 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.09 प्रतिशत हो गई है।
- यह लगातार छह महीने से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किए गए दो से छह प्रतिशत के बीच के दायरे में है।
- हाल ही में भारत में खुदरा खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी के बावजूद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मु-

द्रास्फीति जनवरी में 5.1 प्रतिशत के लगभग बराबर है।

- फरवरी 2024 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पिछले महीने के मुकाबले लगभग अपरिवर्तित रहकर 5.09 प्रतिशत ही है, वहीं उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि की रफ्तार 36 आधार अंक बढ़कर 8.66 फीसदी हो गई है ।
- सब्जियों की कीमतों में 30.3 फीसदी की मुद्रास्फीति दर्ज की गई है, जो कि जनवरी से 315 आधार अंक की तेजी है।
- जनवरी में आलू की कीमतें जहां साल-दर-साल के आधार पर लगभग दो फीसदी की अपस्फीति से बढ़कर 12.4 फीसदी की मुद्रास्फीति पर पहुंच गईं, वहीं प्याज में 22.1 फीसदी की मुद्रास्फीति दर्ज की गई और टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी करीब 400 आधार अंक के इजाफे के साथ छह महीने के उच्चतम स्तर 42 फीसदी पर पहुंच गई।
- उपभोक्ता कार्य विभाग के दैनिक मूल्य निगरानी के अनुसार आलू, प्याज और टमाटर की औसत खुदरा कीमतें एक साल पहले के स्तर से 14 मार्च तक क्रमशः 21.3 फीसदी, 41.4 फीसदी और 35.2 फीसदी ज्यादा हैं।
- 7 मार्च 2024 को जारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, 2023-24 के बागवानी फसल वर्ष में प्याज का उत्पादन इस साल 15.6 फीसदी कम हुआ है और आलू के उत्पादन में भी लगभग दो प्रतिशत की कमी हुई है।
- 14 मार्च 2024 को जारी केंद्रीय जल आयोग का जल भंडारण संबंधी आंकड़ा भी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के लिए देश भर के 150 जलाशयों में वास्तविक भंडारण (लाइव स्टोरेज) के कुल क्षमता के 40 प्रतिशत है और यह 10 साल के औसत से एवं पिछले साल के अनुपात अर्थात दोनों ही लिहाज से कम है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने मौद्रिक नीति समिति को बताया कि लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बढ़ सकती है ।

भारत में मुद्रास्फीति को मापने के तरीके :

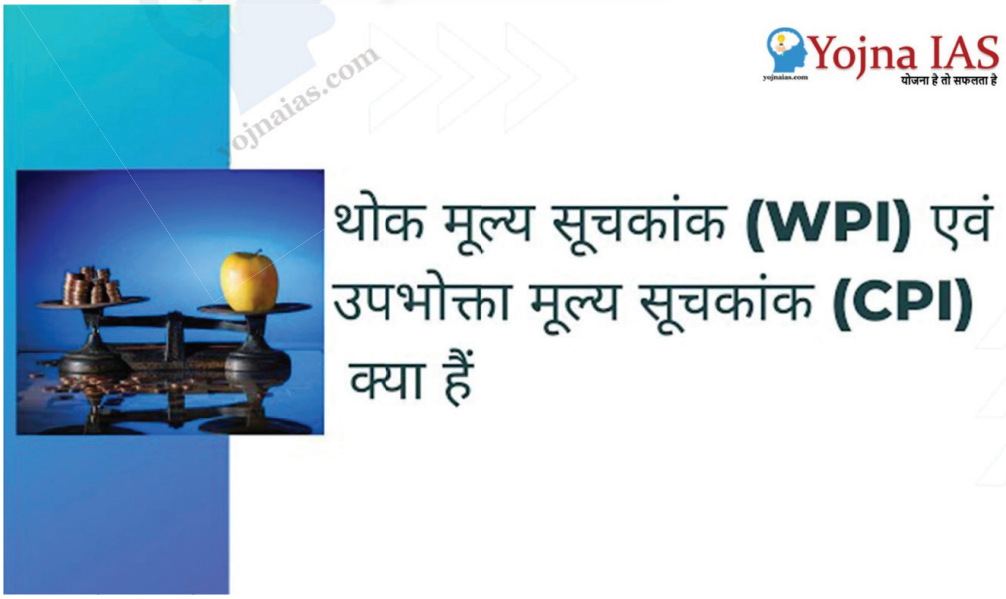

थोकमूल्य सूचकांक (WHOLESALE PRICE INDEX – WPI) :

- यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक (Inflation Indicator) है।

- भारत में इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के आर्थिक सलाहकार (Office of Economic Adviser) के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- इसमें भारत के घरेलू बाज़ार में थोक बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाले वस्तुओं के पहले बिंदु से किए जाने-वाले (First point of bulk sale) सभी लेन-देन शामिल होते हैं।
- थोकमूल्य सूचकांक में समस्या यह है कि इसमें आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CONSUMER PRICE INDEX – CPI) :

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा खरीदार के अनुसार वस्तुओं की कीमतों में होने वाले दामों के बदलावों को मापता है।
- इस सूचकांक में चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ होने वाले बदलाव को मापता है, जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने में अपनी आय को खर्च करते हैं।
- **खुदरा मुद्रास्फीति**, जिसे **CPI मुद्रास्फीति** के रूप में भी जाना जाता है, यह उस दर को परिभाषित करता है, जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं।
- यह भोजन, कपड़े, आवास, परिवहन और चिकित्सा देखभाल सहित सामान्यतः घरेलू वस्तुओं की खरीद एवं सेवाओं की लागत में बदलाव का आकलन करता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रकार :

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के चार प्रकार होते हैं , जो निम्नलिखित हैं –

औद्योगिक श्रमिकों (Industrial Workers-IW) के लिए CPI
कृषि मज़दूर (Agricultural Labourer-AL) के लिए CPI
ग्रामीण मज़दूर (Rural Labourer-RL) के लिए CPI
ग्रामीण/शहरी/संयुक्त या शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों (Urban Non-Manual Employees- UNME) के लिए CPI.

इनमें से प्रथम तीन को श्रम और रोज़गार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो (Labor Bureau) द्वारा संकलित किया गया है। जबकि चौथे प्रकार की CPI को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation-CSO) द्वारा संकलित किया जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाम थोक मूल्य सूचकांक :

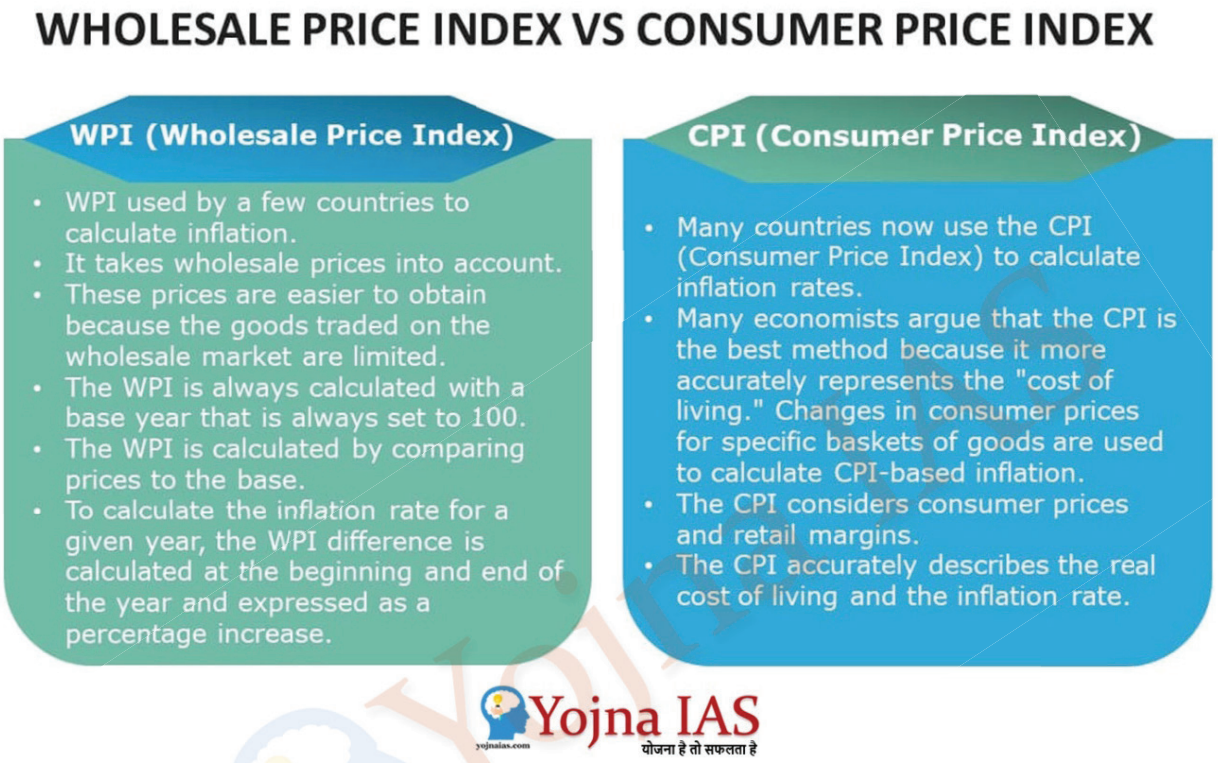

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिये किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापना या पता लगाना वास्तव में असंभव है। इसलिये थोक मूल्य सूचकांक में एक नमूने को लेकर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। इसके पश्चात् एक आधार वर्ष तय किया जाता है जिसके सापेक्ष में वर्तमान मुद्रास्फीति को मापा जाता है।
- भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महँगाई की गणना की जाती है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में मुद्रास्फीति की माप खुदरा स्तर पर की जाती है जिसमें उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। यह पद्धति आम उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेहतर तरीके से मापती है।
- WPI, आधारित मुद्रास्फीति की माप उत्पादक स्तर पर की जाती है जबकि और CPI के तहत उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन की माप की जाती है।
- दोनों बास्केट व्यापक अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति (मूल्य संकेतों की गति) को मापते हैं, दोनों सूचकांक अलग-अलग होते हैं जिसमें भोजन, ईंधन और निर्मित वस्तुओं का भारांक (Weightage) निर्धारित किया गया है।
- WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं करता है, जबकि CPI में सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है।
- भारत में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने मुद्रास्फीति के प्रमुख मापक के रूप में अप्रैल 2014 में तय किए गए , CPI

के मापक को को अपनाया था।

खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति और अवस्फीति की मौजूदा स्थिति :

दालों और अनाजों में मुद्रास्फीति :

- ' भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ' के ताजा आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि खाद्य मुद्रास्फीति दो वस्तुओं क्रमशः:अनाजों (11.9%) और दालों (13%) की कीमतें क्रमशः जुलाई व अगस्त में तेज़ी से बढ़ी है।
- सब्ज़ियों की वार्षिक खुदरा मूल्य वृद्धि इससे भी अधिक, क्रमशः 37.4% और 26.1%, रही।
- इस आंकड़ें के अनुसार सबसे अच्छा संकेतक टमाटर का रहा, जिसकी खुदरा मुद्रास्फीति इस अवधि के दौरान क्रमशः 202.1% और 180.3% रही।

आवश्यक वस्तुओं में अवस्फीति और सरकारों की रणनीति :

- राजनीतिक कारणों की वज़ह से अधिकांश सरकारें स्वाभाविक रूप से उत्पादकों पर उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने से उपभोक्ताओं को विशेषाधिकार देती हैं। वर्तमान परिदृश्य में सरकार को अन्य समस्याओं के अतिरिक्त, विशेष रूप से दो कृषि / खाद्य वस्तुओं के उत्पादन और उत्पादकों दोनों को समान रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **सरकारों द्वारा प्राथमिकता दिए जाने वाले वे क्षेत्र हैं –**

भारत में वनस्पति तेल उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी प्राथमिकता की जरूरत :

- अक्तूबर माह में हुए सोयाबीन की कटाई और विपणन शुरू हो गया था, लेकिन तिलहन पहले से ही सरकार के **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** से निचले स्तर पर व्यापार कर रहा है।
- तेल और भोजन के रूप में, वर्तमान में सोयाबीन की मांग में हाल में विशेष (सोयाबीन से निर्मित पशुधन आहार सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने वाला अवशिष्ट तेल रहित केक) कमी दर्ज़ की गई है।
- भारत के बाजारों में आई मंदी का एक प्रमुख कारण भारत द्वारा दूसरे देशों से खाद्य तेल का आयात है। भारत का **वनस्पति तेलों** का आयात वर्ष 2022-23 में 17 मिलियन टन (mt) के उच्च स्तर तक पहुँचने का अनुमान

है।

भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी प्राथमिकता की जरूरत :

- भारत में हाल के दिनों में दूध पाउडर, मक्खन या घी की खरीदारी में कमी दर्ज़ की गई है। त्यौहारों (दशहरा-दिवाली) के बाद, आमतौर पर सर्दियों में जब दुग्ध – उत्पादन अपने चरम- स्तर पर होता है,तब भी दुग्ध उत्पादों की खरीद में कमी आती है।
- मिलावटी घी की बिक्री में वनस्पति वसा की मिलावट की कथित वृद्धि ने भी इस उद्योग की समस्याओं को और अधिक बढ़ाकर चिंतनीय बना दिया है। आयातित तेलों, विशेषकर ताड़ के तेलों की कीमतों में गिरावट ने मक्खन एवं घी में सस्ते वसा के मिश्रण को और अधिक बढ़ा दिया है, जिसने भारत में उपभोक्ताओं के सामने स्वास्थ्य – संबंधी चिंताओं को जन्म देना प्रारंभ कर दिया है।

गेहूँ और चावल को आवश्यक वस्तुओं के रूप में सरकारी समर्थन :

- भारत में सरकारी तंत्रों द्वारा या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा प्रभावी वितरण के अभाव में अधिक आपूर्ति के कारण बाज़ार की कीमतों में गिरावट आ सकती है।

भारत में किसानों द्वारा किसी विशेष फसल का अधिक उत्पादन :

- आमतौर पर भारत में किसान प्रायः गेहूँ और चावल जैसी MSP-समर्थित फसलों का ही अधिक – से – अधिक उत्पादन बढ़ाकर सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के समर्थन को चुनौती देते हैं। इस अति उत्पादन से बाज़ार में इन फसलों की बहुतायत हो सकती है, जिससे उनकी कीमतें MSP से निचले स्तर तक पहुँच सकती हैं।

सरकारी स्तर पर अपर्याप्त खरीद और वितरण :

- भारत में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करती है और सरकार अपने तंत्रों के माध्यम से किसानों से फसल खरीदती है, हालाँकि खरीद बुनियादी ढाँचा एवं वितरण प्रणाली अक्षम हो सकती है, जिससे खरीद में देरी तथा उपभोक्ताओं को अनाज का अपर्याप्त वितरण होता रहता है।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (CFPI) :

- मुद्रास्फीति की एक विशिष्ट माप **उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (Consumer Food Price Inflation-CFPI)**, है जो विशेष रूप से उपभोक्ता की वस्तुओं और सेवाओं में खाद्य पदार्थों के मूल्य परिवर्तन पर केंद्रित है।
- जिस दर से किसी सामान्य परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की कीमतें समय के साथ बढ़ रही हैं या बढ़ने के संकेत देते हैं , यह उस दर की गणना करता है ।
- CFPI व्यापक **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI)** का एक उप-घटक है, **जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** दर की गणना करने के लिये **CPI-संयुक्त (CPI-C)** का उपयोग करता है।
- CFPI विशिष्ट खाद्य पदार्थों के मूल्य परिवर्तन की निगरानी करता है जो सामान्यतः घरों में उपभोग किया जाता है। उदहारण के लिए – अनाज, सब्जियाँ, फल, डेयरी उत्पाद, मांस

और अन्य खाद्य पदार्थ।

खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के कारण :

मांग और आपूर्ति में असंतुलन की स्थिति :

- किसी भी देश या उसकी अर्थव्यवस्था में जब खाद्य पदार्थों की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच असंतुलन कि स्थिति पैदा होता है, तो खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगती हैं।
- प्राकृतिक आपदाएं या मौसम की विषम घटनाएँ, फसल की कम पैदावार या कीटों द्वारा फसलों का कीट – संक्रमण जैसे कारक कृषि उत्पादों की आपूर्ति को कम कर सकता हैं, जिससे उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं।
- कभी – कभी मांग में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि या उपभोक्ता की खाद्य – प्राथमिकताओं में परिवर्तन होने के कारण भी यदि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सतत जारी / प्रवाह नहीं रह पाती है तो ऐसी स्थिति में भी कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

किसानों के लिए कृषि उत्पादन में होने वाले लागत में वृद्धि :

- कभी – कभी किसानों के लिए कृषि उत्पादन में होने वाली लागत में वृद्धि होने के कारण भी खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसमें ईंधन, उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि और श्रम लागत जैसे व्यय भी शामिल होते हैं।

ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि :

- कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले ऊर्जा की लागत में वृद्धि होने के कारण ,या कभी – कभी विशेष रूप से ईंधन जैसे – डीजल या पेट्रोल के दामों में वृद्धि होना भी , खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्त्वपूर्ण कारक होता है। डीजल , पेट्रोल या तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से खेतों से दुकानों तक खाद्य उत्पादों को लाने के लिए परिवहन लागत में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं।

मुद्रा विनिमय दर :

- कभी – कभी मुद्रा की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव खाद्य कीमतों को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो आयातित खाद्य पदार्थों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। कमज़ोर घरेलू मुद्रा आयातित भोजन या खाद्य पदार्थों को और अधिक महंगा बना सकती है, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है।

व्यापारिक – नीतियाँ :

- राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर तय होने वाली व्यापारिक नीतियाँ और टैरिफ, आयातित एवं घरेलू स्तर पर उत्पादित खाद्य की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध से भी उपलब्ध खाद्य उत्पादों की विविधता सीमित हो सकती है और ऐसी परिस्थिति में भी संभावित रूप से कीमतें बढ़ सकती हैं।

मूल्य नियंत्रण या विनियमों के रूप में सरकारी हस्तक्षेप :

- सरकारों द्वारा खाद्य पदार्थों के मामले में नागरिकों को दी जाने वाली सब्सिडी, मूल्य नियंत्रण या विनियमों के रूप में सरकारी हस्तक्षेप खाद्य पदार्थों की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। एक और जहाँ सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी खाद्य पदार्थों के उत्पादन की लागत/ मूल्य को कम कर सकती है, वहीं दूसरी ओर सरकारों द्वारा मूल्य नियंत्रण करना मूल्य वृद्धि को सीमित कर सकता है।

जलवायु पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन :

- जलवायु पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन कृषि उत्पादों या खाद्य उत्पादन पर प्रभाव डाल सकते हैं। अधिक और

जैसे सूखा या बाढ़ जैसी गंभीर और विषम मौसम की घटनाएँ, फसलों को नुकसान पहुँचा सकती हैं तथा ऐसी परिस्थिति में कृषि पैदावार कम कर सकती हैं, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश की आवश्यकता :

- कृषि क्षेत्र में फसलों की पैदावार क्षमता बढ़ाने एवं पशुधन की उत्पादकता क्षमता को बढ़ाने में तथा उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश करने की आवश्यकता है।

खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं का सुदृढ़ीकरण करने की जरुरत :

- खाद्य पदार्थों की बर्बादी या भोजन के खराब होने और बर्बादी को कम करने के लिए परिवहन एवं भंडारण के बुनियादी ढाँचे में निवेश करने की अत्यंत जरूरत है।
- खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए वितरण नेटवर्क में सुधार करने की अत्यंत जरूरत है ताकि भोजन निहित उपभोक्ताओं तक कुशलतापूर्वक पहुँच सके और खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाज़ार के बीच आपसी तालमेल को बढावा देना :

- किसी भी आवश्यक खाद्य पदार्थों पर होने वाली व्यापार बाधाओं और उससे संबंधित शुल्कों को हटाने की अत्यंत आवश्यकता है।
- खाद्य पदार्थों या खाद्य उत्पादों की सतत एवं स्थिरआपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अत्यंत सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है, साथ – ही – साथ खाद्य पदार्थों या खाद्य उत्पादों की आपूर्ति को बाधामुक्त बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाज़ार के बीच आपसी तालमेल को बढावा देने की अत्यंत जरूरत है।

जमाखोरी या कालाबाजारी या एकाधिकार शक्ति को कम करना और आपसी प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना :

- भारत में बड़े कृषि – व्यवसाय प्रतिष्ठानों द्वारा बाज़ार पर एकक्षत्र राज स्थापित करने की प्रवृति , बाजार में जमाखोरी या कालाबाजारी और मूल्य में होने वाले हेरफेर को रोकने के लिए बाजार में होने वाले एकाधिकारी व्यापार विरोधी कानून को लागू किए जाने की अत्यंत आवश्यक है ।
- खाद्य – पदार्थों की कीमतों को प्रतिस्पर्द्धी बनाए रखने के लिए खाद्य – पदार्थों या खाद्य उत्पादों जैसे खाद्य क्षेत्रों में आपसी प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- वैश्विक प्राकृतिक एवं राजनीतिक घटनाएँ: भू-राजनीतिक संघर्ष, महामारी एवं व्यापार व्यवधान जैसी वैश्विक घटनाएँ खाद्य – आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती हैं और खाद्य – कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए – कोविड-19 महामारी ने विश्व के कई हिस्सों में खाद्य – उत्पादन और वितरण को बाधित कर दिया था। इस महामारी से सबक सीखते हुए भविष्य में खाद्य – आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित न हो, हमें इस दिशा में भी मार्ग प्रशस्त करने की अत्यंत आवश्यकता है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत में समावेशी और सतत विकास के लिए मुद्रास्फीति को भारत के नीति – निर्माताओं को उसके लक्ष्य तक सीमित रखना होगा।
- वर्ष 2024 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के कारण यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिरता से बचाना है तो भारत के नीति निर्माताओं को मुद्रास्फीति और भारतीय अर्थव्यवस्था की अस्थिरता के बीच संतुलन बनानी होगी , ताकि आम जनता को महंगाई की मार से बचाया जा सके।

- वैश्विक प्राकृतिक एवं राजनीतिक घटनाएँ: भू-राजनीतिक संघर्ष, महामारी एवं व्यापार व्यवधान जैसी वैश्विक घटनाएँ खाद्य – आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती हैं और खाद्य – कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बन सकती हैं। अतः भारत में आने वाले समय में खाद्य – आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित न हो, हमें इस दिशा में भी मार्ग प्रशस्त करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए वितरण नेटवर्क में सुधार करने की अत्यंत जरूरत है ताकि भोजन निहित उपभोक्ताओं तक कुशलतापूर्वक पहुँच सके और खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जा सके।
- मुद्रा विनिमय दर आयातित भोजन या खाद्य पदार्थों को और अधिक महंगा बना सकती है, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 .खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. खुदरा मुद्रास्फीति के कारण किसी भी अर्थव्यवस्था में जब खाद्य पदार्थों की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच असंतुलन कि स्थिति पैदा होता है, तो खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं।
2. CFPI विशिष्ट खाद्य पदार्थों के मूल्य परिवर्तन की निगरानी करता है जो सामान्यतः घरों में उपभोग किया जाता है।
3. CPI छह प्रकार के होते हैं।
4. जलवायु पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन से कृषि उत्पादों या खाद्य उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इससे कृषि क्षेत्र में अधिक पैदावार होती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1, 3 और 4

(B) केवल 2 और 4

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 1 और 2

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. खुदरा मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से आप क्या समझते हैं ? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता के प्रमुख कारणों को रेखांकित करते हुए खुदरा मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से उत्पन्न प्रभावों की समीक्षा कीजिए।